दिल्ली में हिंसा

(31 अक्टूबर से 4 नवम्बर 1984)

•

जस्टिस एस० एम० सीकरी

श्री बदरउद्दीन तैयबजी

श्री राजेश्वर दयाल

श्री गोविन्द नारायण

श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्द्धन

द्वारा प्रस्तुत

•

सिटीजन्स कमीशन की रिपोर्ट

राजधानी में उन तीन संकटमय दिनों में प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय रहा जबकि लटपाट, हत्या और आगजनी पर तुले हुए गुण्डों के समूहों को खुली छूट दी। आमतौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दंगा करने वाले कुछ समूह संगठित थे, उन्हें भड़काया गया और अक्सर उन्हें आने-जाने के लिए गाड़ियां भी मुहैया की गई थीं।

(31 अक्टूबर से 4 नवम्बर 1984)

●

जस्टिस एस० एम० सीकरी
श्री बदरउद्दीन तैयबजी
श्री राजेश्वर दयाल
श्री गोविन्द नारायण
श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्द्धन

●

सिटीजन्स कमीशन
नयी दिल्ली

भूमिका

दुर्भाग्य से श्रीमती इन्दिरा गांधी की नृशंस हत्या के पश्चात् दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर अभूतपूर्व हिंसा और अराजकता फैली। इस हिंसा के मुख्य शिकार सिख हुए। हिंसा का रुख नागरिकों के एक विशेष समुदाय—जिसे बलि का बकरा बनाया गया—की ओर होने पर भी इसकी प्रकृति, व्यापकता और उग्रता सभी शान्तिप्रिय और कानून का सम्मान करने वाले नागरिकों के लिए किसी अशुभ की ओर संकेत था। हिंसा के ढंग और प्रचण्डता ने देश की एकता और अखण्डता को सर्वोपरि मानने वाले लोगों को बहुत चिन्तित और आशंकित कर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने—जिनका सार्वजनिक सेवाओं का लम्बा अनुभव है और जिनका दलगत राजनीति से कोई संबंध नहीं है—हमें 'नागरिक आयोग' के रूप में इन घटनाओं की जांच के लिए आमंत्रित किया। हमने 16 नवम्बर 1984 को जारी किए बयान की भावना के अनुरूप इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया। इस स्वीकृति के पीछे प्रभावित समुदाय की सुरक्षा एवं भलाई की चिन्ता, उनके साथ एकता की भावना को सक्रिय रूप से अभिव्यक्त करने और सामाजिक कर्त्तव्य निभाने की भावना थी।

सरकारी स्रोतों तक पहुंच न हो पाने के कारण हमारा काम अधूरा-सा रहा है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ इन्टरव्यू का हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए हमें मुख्य रूप से उन्हीं सूत्रों पर निर्भर करना पड़ा जिनका उल्लेख इस रपट की प्रस्तावना में किया गया है।

हम उन अनेक स्वैच्छिक संगठनों और नागरिकों (दंगों से प्रभावित और अन्य) के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आयोग के समक्ष अपने अनुभव, आंखों देखी घटनाएं और उन पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समय दिया।

उन लोगों के प्रति हमें विशेष आभार व्यक्त करना है जिन्होंने हमारे काम को संयोजित करने, कार्यालय-सम्बन्धी प्रबन्ध करने और दौरों एवं साक्षात्कारों का कार्यक्रम तैयार करने में अपना समय और श्रम लगाया।

हमारे स्टाफ के श्री टी० डी० चावला और श्री पी० एन० गुलाटी ने जिस दक्षता से अपना कार्य किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।

हमें पूरी आशा है कि हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्बद्ध अधिकारी हमारे द्वारा सुझाई गई दिशा में तेजी से निवारक कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। हमें इस बात की भी पूरी आशा है कि हमारी रपट आम जनता को इन कठोर तथ्यों को उनके सही—अर्थात् राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के—परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करने में सहायता देगी।

नई दिल्ली
18 जनवरी 1985

एस० एम० सीकरी
बदरुद्दीन तैयबजी
राजेश्वर दयाल
गोविन्द नारायण
टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्द्धन

1. प्रस्तावना

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद एक विशेष समुदाय पर बरपा कर दी गई पागल हिंसा से उद्वेलित होकर दिल्ली के कुछ गणमान्य नागरिकों ने 16 नवम्बर 1984 को निम्नलिखित बयान जारी किया :

"जब दिल्ली हत्या के आघात और शोक से चेतनाशून्य थी तब आतंक, हत्या, लूटपाट और आगजनी के जंगली उन्माद ने शहर के बहुत-से हिस्सों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका मुख्य लक्ष्य एक अल्पसंख्यक समुदाय था लेकिन सभी शान्तिप्रिय नागरिक भयभीत थे । पूरे शहर को डर ने जकड़ रखा था और हत्यारों के समूह हमले करते हुए सड़कों और गलियों में बेरोकटोक घूम रहे थे। देश के बहुत-सारे हिस्सों में फैली इस हिंसा का जोर कहीं कम और कहीं ज्यादा रहा। इसने न केवल दंगे के शिकार हुए समुदाय का, बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों का विश्वास भी हमारी धर्म-निरपेक्षता पर से हिला दिया।

भारत के विविध जन-समुदायों और संस्कृतियों का मिला-जुला रूप ही उसकी शक्ति का आधार है लेकिन यदि किसी समुदाय पर हुई हिंसा के कारण परस्पर सहिष्णुता और सम्मान के संबंध टूट जाते हैं तो पूरे ढांचे की एकता और अखंडता गंभीर खतरे में पड़ जाती है । आज हमारा देश इसी स्थिति का सामना कर रहा है ।

राजधानी में उन तीन संकटमय दिनों में प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय रहा जबकि लूटपाट, हत्या और आगजनी पर तुले हुए गुण्डों के समूहों को खुली छूट थी। आम तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दंगा करने वाले कुछ समूह संगठित थे, उन्हें भड़काया गया था और अक्सर उन्हें आने-जाने के लिए गाड़ियां भी मुहैया की गई थीं ।

इस स्थिति को अगर तेजी से और प्रभावपूर्ण ढंग से सुधारा न गया तो यह भारत की एकता के ढांचे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकती है । स्थिति की गंभीरता और उसके तकाजे को मद्देनज़र रखते हुए हम—अधोहस्ताक्षरी—

सरकार से तुरन्त निम्नलिखित सुधार लाने वाले कदम उठाने की जोरदार अपील करते हैं :

1. 31 अक्तूबर से लेकर 4 नवम्बर तक की घटनाओं की जांच-पड़ताल करने के पूरे अधिकार देकर तीन ऐसे गैर राजनीतिक और गैर सरकारी व्यक्तियों का एक न्यायाधिकरण अविलम्ब स्थापित किया जाए जो अपनी वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए विख्यात और सम्मानित हों। इस अधिकरण को सरकारी और गैंरसरकारी सबूत और गवाहियां तलब करने और सच्चाई को साबित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार हो और यह अपने स्थापित होने के छह सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट दे दे। यह इस बहुप्रचलित आरोप की विशेष जांच करे कि दंगाइयों के समूहों को जानबूझकर उकसाया गया था और उनका नेतृत्व किया गया था। यदि ऐसा हो, तो दोषी व्यक्तियों को सामने लाए। यह उन कदमों की भी छानबीन करे जो प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा सकते थे।

2. दंगाइयों और उनके नेताओं की गिरफ्तारी और लूटी गई सम्पत्ति की वापसी के लिए सशक्त कदम उठाए जाएं।

3. मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं जिन्हें निर्भयता एवं निष्पक्षतापूर्वक अपराधी को भविष्य में अपराध से रोकने के लिए उपयुक्त सजा देने का पूरा अधिकार हो।

4. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो गए हैं, उन्हें फिर से अपना रोजगार शुरू करने के लिए पूरा हर्जाना दिया जाना चाहिए। जिनके घर नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, या जिनकी सम्पत्ति लूटी गई है और वापिस नहीं मिली है, उन्हें फिर से जिन्दगी शुरू करने के लिए पूरा-पूरा हर्जाना दिया जाए।

5. राहत शिविरों में रह रहे लोगों तब तक घर वापस जाने के लिए मजबूर न किया जाए जब तक वे पूरी तरह सुरक्षित अनुभव न करें।

हमारी राय में शीघ्रातिशीघ्र ये कदम उठाने से कुछ हद तक शमनकारी प्रभाव पड़ेगा और दंगाप्रभावित भयभीत समुदाय एवं सभी शान्तिप्रिय नागरिकों के डगमगाये हुए विश्वास के फिर से दृढ़ होने में सहायता मिलेगी। इससे अपराधी और शरारती तत्वों का भी भविष्य के लिए निवारण किया जा सकेगा।

स्थिति की गंभीरता और तकाजे को मद्देनजर रखते हुए और जनता में विश्वास लौटाने तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, समाज-सेवा की भावना रखने वाले लोगों के कई समूहों की बार-बार आग्रहपूर्ण मांग पर पांच प्रतिष्ठित लोगों का एक 'नागरिक आयोग' स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य—राष्ट्रहित—की प्राप्ति के प्रयास में सरकार के हाथ मजबूत करना है।"

इस बयान पर इन लोगों के हस्ताक्षर थे :

एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह (रिटायर्ड)	
श्रीमती तारा अलीबेग	सामाजिक कार्यकर्त्री
श्री धर्मवीर	प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भूतपूर्व मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डलीय सचिव और राज्यपाल
कुमारी सी० बी० मुत्तम्मा	भूतपूर्व राजदूत
श्री भगवान सहाय	भूतपूर्व राज्यपाल
श्री एच० डी० शौरी	निदेशक कॉमन कॉज
श्री एल० पी० सिंह	भूतपूर्व गृहसचिव एवं राज्यपाल
श्री सोली जे० सोराबाजी	वरिष्ठ एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय
ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह (रिटायर्ड)	
श्री टी० स्वामीनाथन	भूतपूर्व मंत्रिमंडलीय सचिव एवं मुख्य चुनाव आयुक्त

नागरिक आयोग के सदस्य हैं :

जस्टिस एस० एम० सीकरी	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश
श्री बदरुद्दीन तैयब जी	राष्ट्रमंडल के भूतपूर्व सचिव और वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।

श्री राजेश्वर दयाल	भूतपूर्व विदेश सचिव, विजिटिंग फेलो, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ।
श्री गोविन्द नारायण	कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल और गृह एवं रक्षा सचिव ।
श्री टी० सी० ए० श्री निवासवर्द्धन	भूतपूर्व गृह सचिव ।

आयोग ने अपना कार्य सोमवार, 26 नवम्बर, 1984 से शुरू किया ।

शुरुआत में आयोग ने दंगाप्रभावित लोगों और उनके पुनर्वास और राहत-कार्य में लगे हुए सामाजिक संगठनों एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों और किसी भी चश्मदीद गवाह को आयोग से मिलने के लिए आमंत्रित करते हुए एक बयान जारी किया (इसे हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया, स्टेटमैन, पी० टी०आई० और यू० एन० आई० को भेजा गया)जो अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ ।

आयोग का कामकाज 'विश्व युवक केन्द्र', सर्कुलर रोड, नई दिल्ली पर होता रहा ।

1. जांच-पड़ताल के दौरान आयोग ने विभिन्न राहत-शिविरों और दंगा-पीड़ितों को आश्रय देने वाले गुरुद्वारों का दौरा किया;
2. कई कालोनियों—खासतौर पर दंगों से अधिक प्रभावित कालोनियों का दौरा किया,
3. अनेक दंगा-पीड़ितों और चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की । (अब तक आजाद घूम रहे गैरकानूनी तत्त्वों की ओर से अत्याचार, बदले या फिर से परेशान किए जाने की आशंका से बचने के लिए उनके नाम प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं ।)
4. दंगा-पीड़ितों द्वारा दिए गए लिखित बयान और शपथ-पत्र प्राप्त किए और उन पर सतर्कतापूर्वक विचार किया;
5. राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे हुए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थिति की रपट लिखने वाले पत्रकारों के साथ घटनाओं और उनके परिणाम के बारे में बातचीत की; और
6. राजधानी के प्रमुख समाचार पत्रों में उन दिनों—31 अक्तूबर से 4 दिसम्बर—के दौरान इन घटनाओं के विषय में प्रकाशित रपटों को पढ़ा ।

2. पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

पृष्ठभूमि

दिल्ली और देश के अन्य भागों में 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक सिखों पर जो अफसोसनाक हिंसा हुई, वह निःसन्देह 1981 से लेकर अब तक पंजाब में होने वाली घटनाओं से जुड़ी है। इसलिए पंजाब की स्थिति पर दृष्टि डालना—चाहे संक्षेप में ही—प्रासंगिक होगा।

किसी प्रकार का निर्णय दिए बिना या किसी पर दोषारोपण किए बिना हम उस घटनाक्रम का उल्लेख करेंगे जिसका परिणाम पहले 'आपरेशन ब्लू स्टार' और फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी की नृशंस हत्या के रूप में सामने आया।

भारत सरकार और अकाली दल के प्रतिनिधियों के बीच समझौता-वार्ताओं की लम्बी श्रृंखला चली। कुछ वार्ताओं का प्रचार किया गया था। तो कुछ गुप्त रूप से हुईं। दुर्भाग्यवश, सभी वार्ताएं निष्फल रहीं। हर बार वार्ता की असफलता का परिणाम पंजाब में उग्रवादी तत्वों की हिंसक कार्रवाइयों में वृद्धि के रूप में सामने आया। बैंक-डकैतियों, निर्दोष नागरिकों को डराने-धमकाने और उनकी हत्या करने जैसे कई घटनाएं एक के बाद एक ही होती गईं।

इन घटनाओं का शिकार होने वालों में कई हिन्दू थे लेकिन सिख भी लगभग बराबर संख्या में इन घटनाओं के शिकार हुए। अपराधियों के हर बार सिख ही पाये जाने के कारण धीरे-धीरे उस पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ प्रति एक भीतर-भीतर सुलगता हुआ विरोध निर्मित होने लगा जिसके बहुसंख्यक समुदाय के साथ अब तक निकटतम सामाजिक, सांस्कृतिक, बिरादरी के, पारिवारिक और धार्मिक सम्बन्ध थे।

इस दरार का सबसे दुःखद परिणाम यह था कि दोनों समुदायों के बीच संवाद के विभिन्न माध्यम अफसोसनाक रूप से नष्ट हो गए। राजनैतिक मतभेदों और

राजनैतिक दलों की अपने दल के भीतर और दोनों समुदायों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से चली गई सुविचारित चालों के तहत घटनाओं को तोड़ा-मरोड़ा गया। सिखों और हिन्दुओं के बीच संवाद की आमतौर पर गलत ढंग से व्याख्या की जाती थी थी और लगभग हमेशा ही बातों को गलत समझा जाता था। परिणामस्वरूप दोनों में तनाव बढ़ता गया।

अन्ततः अपने राजनैतिक और भौतिक लाभ के लिए इस तनाव का फायदा उठाने पर तुले हुए लोगों ने प्रधानमंत्री की हत्या के जघन्य कृत्य को एक आसानी से पहचाने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की जान, माल और सम्मान पर जान-बूझकर और योजनाबद्ध ढंग से हमला करने के एक सटीक मनोवैज्ञानिक बहाने के रूप में हाथ से जाने नहीं दिया। देश के अन्य भागों में भी हिंसा हुई लेकिन दिल्ली में उसका अधिक जोर था।

हमें बार-बार ऐसे संकेत दिए गए जिनसे लगता है कि 31 अक्तूबर के बाद होने वाली घटनाएं 'सिखों को सबक सिखाने' के पूर्व-नियोजित कार्यक्रम का हिस्सा थीं। कई इलाकों से हमारे सामने पेश होने वाले लोगों ने बार-बार हमें बताया कि उनके इलाके में पहले से ही सिखों के घरों की पहचान कर ली गई थी। एक बार हमें यह भी बताया गया कि स्वयं को पुलिसकर्मी कहने वाला व्यक्ति घर-घर जाकर आनेय अस्त्रों (बन्दूक, पिस्तौल आदि) की मिल्कियत के बारे में पूछ-ताछ करते रहे। कुछ लोगों ने जायदाद की मिल्कियत के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की।

ये संकेत गुप्तचर एजेंसियों को पूरे सिख समुदाय के प्रति व्यापक हिंसा नहीं तो कम-से-कम परेशान किए जाने के किसी अभियान का सुराग देने और पहचानने के लिए काफी थे।

सरकार के मुखिया पर हमला होने जैसी गंभीर घटना को देखते हुए अधिका-रियों को तुरन्त नागरिकों के जान-माल के खतरे की आशंका को दूर करने और शान्ति एवं सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए था। इस प्रकार के कदम उठाने में उनकी असफलता का परिणाम दिल्ली और देश के अन्य भागों में अकथनीय भयावह दुष्कृत्यों के रूप में सामने आया।

घटनाक्रम

आयोग के समक्ष दिए गए बयानों, आयोग द्वारा राहत-शिविरों और दंगा-प्रभावित इलाकों के दौरों, उन दिनों के समाचार-पत्रों में प्रकाशित विवरणों और अन्य स्रोतों से एकत्रित सूचना के अनुसार घटनाक्रम इस प्रकार रहा :

31 अक्तूबर 1984

पूर्वाह्न 9.15 बजे	प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके दो सुरक्षा गार्डों ने गोली मार दी। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचाया गया।
पूर्वाह्न 10.00 बजे	प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास की खबर पहली बार बी० बी० सी० पर सुनी गई।
पूर्वाह्न 11.00 बजे	आल इंडिया रेडियो द्वारा हमले का पहली बार उल्लेख।
अपराह्न 2.30 बजे	राजधानी के कई समाचार-पत्रों के सायं-कालीन संस्करणों में हमले के कारण आई चोटों के फलस्वरूप प्रधानमंत्री की मृत्यु का समाचार था। आ० भा० आ० संस्थान पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। सिख राहगीरों को मारने-पीटने की छिटपुट घटनाएं हुईं।
अपराह्न 5.00 बजे	राष्ट्रपति सरकारी विदेश-यात्रा से लौट कर पालम पहुंचे। वे सीधे अ० भा० आ० संस्थान आए। अस्पताल जाते हुए उनके आसपास चलने वाली कारों पर पथराव किया गया।
अपराह्न 6.00 बजे	आल इंडिया रेडियो ने श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा की।

इसके बाद दिल्ली के कई हिस्सों—खासकर आ० भा० आ० संस्थान के आसपास के सफदरजंग एन्क्लेव, लक्ष्मीबाई नगर, आई० एन० ए० मार्केट और साउथ एक्सटेंशन—में उत्तेजित समूह उपद्रव करने लगे।

अपराह्न 6.50 बजे

श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

रात तक न्यू फ्रेंड्स कालोनी, लाजपत नगर, करोलबाग और नई दिल्ली जैसे कुछ दूर के इलाकों में भी तोड़फोड़ हुई। गुरुद्वारों और सिखों के मकानों, दुकानों, फैक्ट्रियों और अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या नष्ट कर दिया गया। सिख यात्रियों को (कार या बस से बाहर घसीटकर) और पैदल चलने वाले सिखों को पीटा गया। आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सायंकालीन प्रसारण में घोषणा की गई कि केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

देर रात गए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम प्रसारण में शान्त रहने और अमन बनाए रखने की अपील की।

1 नवम्बर, 1984

हिंसा का फैलाव—खासकर त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, गांधीनगर, सुलतानपुरी, मंगोलपुरी, जनकपुरी और पालम कालोनी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में—जारी रहा और उसकी तीव्रता और नृशंसता भी बढ़ गई।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण दिनभर तीनमूर्ति भवन की ओर उमड़ती भीड़ और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए शव के पास से गुजरते लोगों पर ही केन्द्रित रहे। बीच-बीच में जनता से इंटरव्यू भी प्रसारित हुए। दर्शकों और श्रोताओं ने शोक प्रकट करने आए लोगों के कुछ समूहों द्वारा— एकाधिक बार प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास के बावजूद—बीच-बीच में लगाए जाने वाले उत्तेजक नारे जैसे "खून का बदला खून से लेंगे"--सुने।

बताया जाता है कि अनेक संसद-सदस्यों, गणमान्य नागरिकों और अन्य कई व्यक्तियों ने कई इलाकों में पुलिस से सहायता के लिए अपील की। सभी को एक ही उत्तर मिला कि उनके पास स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं हैं। अनेक घायलों को—जिनमें भारी संख्या में सिख थे—अस्पतालों में दाखिल किया गया। उन्हें विभिन्न प्रकार की चोटें आई थीं। दिल्ली में दंगाइयों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या 60 के लगभग थी।

तब नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना बुला ली गई। उसे 'देखते ही गोली मार देने' के आदेश दिए गए।

बताया जाता है कि तत्कालीन गृह सचिव ने यह कहा कि शुक्रवार, 2 नवम्बर, 1984 की शाम तक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में कुछेक हिंसक घटनाएं हुई हैं जिनमें मरने वालों की कुल संख्या दस है। इनमें से पांच दिल्ली में मरे हैं—एक पुलिस की गोली से, तीन दो समूहों के बीच गोली चलने से और एक छुरे से मारा गया।

उपराज्यपाल की राय थी कि असुरक्षित अनुभव कर रहे लोगों को रखने के लिए शिविर स्थापित करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। उनके अनुसार सेना की उपस्थिति के कारण इस प्रकार के कदम आवश्यक थे।

शाम छः बजे अनिश्चितकाल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।

2 नवम्बर, 1984

हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटमार और हत्याओं का तांडव और भी तेज होने, रेलों में सिख यात्रियों की हत्याओं और दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियों को सिखों पर हमला करने के लिए उपद्रवी भीड़ों द्वारा बाहरी इलाकों में ही रोक लिए जाने की खबरें आईं।

पन्द्रह विपक्षी नेताओं और प्रधानमंत्री ने लोगों से संयुक्त अपील की कि वे 'हिंसा के उन्माद' को समाप्त करें। उसी शाम प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने दूसरे प्रसारण में सम्प्रदायों के बीच शान्ति बनाए रखने के अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया।

उस रात के आखिरी पहर में प्रधानमंत्री ने स्वयं कई दंगा-प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

दंगे के कारण बेघर हो गए आतंकित लोगों की बहुत बड़ी संख्या के स्वैच्छिक प्रयासों द्वारा जुटाए गए स्थानों पर आश्रय लेने के कारण कम-से-कम 18 गैर-सरकारी राहत-शिविर अस्तित्व में आ चुके थे।

3 नवम्बर, 1984—अंतिम-संस्कार का दिन

उपराज्यपाल छुट्टी पर चले गए और तत्कालीन गृह-सचिव को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।

सेना की काफी टुकड़ियों और सशस्त्र सेनाओं को अंतिम-संस्कार संबंधी प्रबंध करने और इस अवसर के लिए आए विदेशी अतिथियों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया।

सवेरे नौ बजे से रात आठ बजे तक दफा 144 उठा ली गई थी। रात आठ बजे से नई दिल्ली क्षेत्र के अतिरिक्त पूरी दिल्ली में फिर से अनिश्चित काल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।

पहली बार भीड़ के उन्माद की तीव्रता में कमी के लक्षण नजर आए। शव को जलाए जाने की रात फिर से हिंसा भड़कने की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। सेना की उपस्थिति का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव था और कर्फ्यू भी अधिक कड़ाई से लागू किया गया था।

4 नवम्बर 1984

हिंसा की घटनाएं जारी रहीं लेकिन कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में थी और राजधानी में कानून और व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य की ओर लौट रही थी।

सरकारी सूचना के अनुसार 4 नवम्बर तक 1,809 व्यक्तियों को आगजनी, दंगे और लूटमार के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था। कर्फ्यू का उल्लंघन

करने के आरोप में भी कुछ गिरफ्तारियां की गईं लेकिन हत्या के लिए किसी को गिरफ्तार किए जाने की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस की गोली से मरे 17 व्यक्तियों सहित कुल 458 व्यक्ति मारे गए हैं। उसी समय गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या एक हजार के करीब थी।

श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद होने वाली घटनाओं के निष्कर्ष पर चर्चा करने से पहले कुछ दंगा-प्रभावित लोगों द्वारा आयोग को दिए गए बयानों से सामने आने वाले कुछ मामलों का विवरण देना उपयुक्त होगा। सुस्पष्ट कारणों से नामों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

3. कुछ मामलों का विवरण

एक

पहले करतार नगर (यमुना पार का इलाका) में रहने वाली इस विधवा ने बताया कि 2 नवम्बर, 1984 को एक झुंड ने उनके घर को लूटा और जलाया। उसके पति और दो बेटों—एक की शादी चार महीने पहले ही हुई थी—को घर से बाहर खींचकर निर्दयतापूर्वक पीटा गया। इसके बाद उन तीनों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। उस समय वहां पुलिस या सेना का कोई नाम-निशान नहीं था। उसका कहना है कि वह उस व्यक्ति को पहचान सकती है जिसने उसके पति की हत्या की। वह उसका नाम तो नहीं जानती लेकिन उसके पिता के नाम के बारे में वह निश्चित है। वह उसी क्षेत्र का एक जुलाहा है। मूलत: वह विभाजन के समय रावलपिंडी से आई थी। उसके लिए हिंसक भीड़ के क्रोध का शिकार होने का यह दूसरा दु:स्वप्न जैसा अनुभव था जिसमें उसने परिवार के तीन पुरुषों समेत सब कुछ खो दिया।

उसके साथ लगभग सोलह वर्ष की एक बिल्कुल स्तब्ध-सी लड़की थी। यह उसके हाल ही में ब्याहे और हाल ही में कत्ल किए गए बेटे की विधवा थी। यह युवती अपनी सास के दु:ख भरे हलफिया बयान के दौरान पास बैठी दु:ख और निराशा के खामोश आंसू बहाती रही।

दो

इस विधवा के अनुसार 1 नवम्बर को 9 बजे उपद्रवी भीड़ उनके पड़ोस में आई और आसपास के सिख घरों पर पथराव करने लगी। जो सिख बाहर थे, पुलिस ने उन्हें घर लौटने और घर के अन्दर ही रहने की सलाह दी। उन्होंने इस

सलाह को मानकर खुद को अपने-अपने घरों में बन्द कर लिया। जल्दी ही भीड़ ने वापस आकर सिखों के घरों में घुसना शुरू कर दिया। पुरुषों को बाहर घसीटा गया, बुरी तरह पीटा गया और जिन्दा जला दिया गया। फिर नियोजित तरीके से घरों को लूटा गया और अधिकतर घरों को आग लगा दी गई।

इस इलाके के सिखों के मकान उनकी अपनी मिल्कियत थे। इस महिला के अनुमान के अनुसार इस इलाके में सिखों के लगभग 35-40 मकान थे। लगभग सभी नष्ट कर दिए गए और 35 पुरुषों की नृशंस हत्या कर दी गई। किसी-न-किसी काम से घर से बाहर होने की वजह से इलाके के केवल 5 पुरुष बच गए हैं।

तीन :

खालसा मिडल स्कूल, सरोजनी नगर में आगजनी

एक नवम्बर की दोपहर के बाद लगभग 3.30 या 4.00 बजे के आसपास 250-300 लोगों की एक भीड़ इस स्कूल में आई जिसके 525 विद्यार्थियों में से 65%गैर-सिख हैं। सबसे पहले इस भीड़ ने टेन्टों और स्कूल के डेस्कों को जलाया। इसके बाद उन्होंने स्कूल की चारदीवारी को तोड़ दिया। फिर वे स्कूल में घुस गए और लोहे की आलमारियों को तोड़कर खोलने के बाद लूटा। उन्होंने स्कूल का टाइप-राइटर, बैंड के वाद्य और बर्तन आदि चुराये। उन्हें दो मेज-कुर्सियाँ और सात स्टील की आलमारियाँ ले जाते देखा गया। उन्होंने स्कूल की लायब्रेरी और प्रयोगशाला के वैज्ञानिक उपकरण नष्ट कर दिए। स्कूल की बिल्डिंग और मुख्य अध्यापक का स्कूटर जला दिया गया।

सात या आठ पुलिसकर्मी पास ही खड़े इस भीड़ की कार्रवाई को देखते रहे लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। जब उनसे भीड़ को स्कूल को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है और न ही कोई और कदम उठाया गया है। एफ० आई० आर० (प्रथम सूचना रिपोर्ट) सात या आठ नवम्बर को दर्ज की गई।

स्कूल के सामने ही स्थित पुलिस-स्टेशन का सिख एस० एच० ओ० इंका के एक नेता का सम्बन्धी बताया जाता है। कहा जाता है कि 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक उसे देखा नहीं गया। (वह छिपा हुआ था या कहीं ड्यूटी पर था—इस विषय में गवाह कुछ नहीं कह सका।)

आयोग को यह भी बताया गया कि स्कूल नि:शुल्क शिक्षा देता है और सरकारी अनुदान भी प्राप्त करता है, फिर भी 18 दिसम्बर, 1984 तक की स्थिति के अनुसार किसी तरह का मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ था। फर्नीचर या अन्य प्रकार के उपकरण, यहां तक कि किताबें और स्टेशनरी भी नहीं दी गई थी।

चार

एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आयोग को सूचित किया कि वह 6 नवम्बर तक शक्करपुर शिविर का स्वैच्छिक कार्यकर्ता रहा है। यह शिविर 3 नवम्बर को लगाया गया था और सरकार ने इसे 13 नवम्बर को जबरदस्ती बन्द कर दिया। जब उससे पूछा गया कि शिविर को 'जबरदस्ती कैसे बन्द किया गया' तो उसने बताया कि पानी की सप्लाई काट दी गई थी। उसने अधिकारियों से पूछा कि शिविर में रहने वालों की वापसी में वे किस तरह की मदद करेंगे तो उसे बताया गया कि जिस तरह उन्हें शिविर में लाया गया था उसी तरह वापिस किया जाएगा!

पांच

मंगोलपुरी के दंगों में बच गये एक व्यक्ति को जो अपने भाई के साथ साझे में शिफ्टों में रिक्शा चलाता रहा है, 3 नवम्बर को सेना या सी० आर० पी० (उसे ठीक से पता नहीं) के द्वारा एक राहत-शिविर में लाया गया।

उसने बताया कि 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री पर हमले की खबर फैलने के बाद से तनाव बढ़ने लगा था। वह आश्रय पाने के लिए अपने पड़ोसी के पास गया जहां उसे सुरक्षा दी गई लेकिन अपने केश कटवाने के लिए कहा गया।

उसने इनकार कर दिया। अगली सुबह जब एक भीड़ घर के आसपास आ गई तो पड़ोसियों ने उसे चले जाने को कहा। गली में निकले सभी सिखों को पकड़कर जबरदस्ती उनके केश और दाढ़ियां काटी गईं। उसने बताया कि इसके बाद भीड़ ने—जो उसी इलाके से थी—हिंसा शुरू कर दी और एक-एक घर को लूटा। ज्यादा नुकसान लकड़ी के सामान का हुआ। कुछ चल सम्पत्ति भी चुराई गई।

अगले दिन, बड़े सवेरे लगभग चार बजे भीड़ फिर आई। भीड़ ने पुरुषों को घरों से बाहर खींचकर पीटा। पड़ोसियों ने उनकी जान बख्शने की प्रार्थना की और वे बच गए लेकिन यह बचना थोड़ी ही देर के लिए था। शाम को पड़ोसियों को भी हिंसा की धमकियां दी गईं और वे डरकर खामोश हो गए। फिर परिवार के पांच सदस्यों—उसके भाई, साले, चाचा और दो चचेरे भाइयों को बेंतों और लोहे की छड़ों से पीटा गया और जिन्दा जला दिया गया। लेकिन कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश बेकार कर दी गई। यह गवाह एक हरिजन स्त्री के घर शरण लेकर किसी तरह बच गया।

तीन नवम्बर को अन्य बचे हुए लोगों के साथ उसे एक शरणार्थी शिविर में ले जाया गया। उसने अपराधियों की भीड़ में से सात के नाम बताए जिनमें से एक स्थानीय इंका कार्यकर्ता है और भूतपूर्व संसद-सदस्य का समर्थक माना जाता है।

छह

त्रिलोकपुरी की एक महिला ने अपने दहशतभरे अनुभव सुनाए। वह और उसका पति—लबाना सिख और मूलतः सिन्धी—1947 में राजस्थान में आ गए थे। लगभग पन्द्रह वर्ष पहले वे बेहतर भविष्य की इच्छा से दिल्ली आ गए। 1947-75 के गन्दी बस्तियों को हटाने के अभियान के दौरान उनका पुनर्वास त्रिलोकपुरी में हुआ था।

वह, उसका पति और उनके तीन बच्चे बच गए हैं लेकिन सबसे बड़ा 18 वर्षीय बेटा 1 नवम्बर को मार डाला गया।

उसने बताया कि भीड़ में कुछ लोग उसी ब्लाक के थे और कुछ लोग आसपास के ब्लाकों और साथ के गांव के थे। उनका नेतृत्व इंका का ब्लाक-प्रधान कर रहा

था । ब्लाक-प्रधान सिखों के घरों को पहचान कर भीड़ को उन्हें लूटने, जलाने और मारने के लिए भड़काता था । औरतों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया गया । उनमें से कुछ भाग गईं लेकिन उन्हें नाले के पास पकड़ लिया गया और वहां उनके साथ बलात्कार किया गया । सहायता के लिए उनकी चीख-पुकार बहरे कानों से टकराती रही । दंगाइयों ने एक-दूसरे से कहा कि कमरे में बन्द औरतों में से अपनी-अपनी पसन्द की औरत चुन लें । सभी स्त्रियों को निर्वसन किया गया और कइयों को बेइज्जत किया गया । स्वयं इस महिला के साथ 10 आदमियों ने बलात्कार किया । हविस बुझा लेने के बाद उन्होंने उन औरतों ने उसी निर्वसन अवस्था में बाहर निकलने को कहा । जान जाने के डर से अपने नंगेपन को जितना भी संभव था, ढंकते हुए उन्होंने ऐसा ही किया । उन सबने दयावान पड़ोसियों से कपड़े मांगे और जहां भी हो सका आश्रय लिया ।

सात

आयोग ने सदर बाजार (दिल्ली छावनी) गुरुद्वारे से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त कीं ।

प्रधानमंत्री की हत्या का समाचार सुनकर एक गवाह को संकट की आशंका हुई और वह अपने परिवार को गुरुद्वारे में ले आया । उसने देखा कि कुछ अन्य परिवार पहले से ही वहां इकट्ठा हो गए हैं । औरतों और बच्चों को छोड़कर पुरुष छत पर चले गए जहां से उन्होंने लगभग 200 गज की दूरी पर स्थानीय इंका कार्यालय में भीड़ जमा होते देखी । यह भीड़ 1 नवम्बर की सुबह 8.30 बजे ट्रक से आई थी ।

फिर यह भीड़ गुरुद्वारे की ओर चल पड़ी और छत पर खड़े लोगों को देखकर उन पर पथराव करने लगी । सिखों ने कुछ ईंटें—जो उन्होंने जमा कर ली थीं—भीड़ पर फेंकीं । जब ईंटें समाप्त हो गईं तो भीड़ का हौसला बढ़ा और उसने एक दुकान को आग लगा दी जिसे गुरुद्वारे ने किराये पर दे रखा था । सिख—जो संख्या में 12 थे—गुरुद्वारे में उपलब्ध सभी कृपाणें लेकर गुरुद्वारे से बाहर आ गए । इस कमजोर से शक्ति-प्रदर्शन से भीड़ लौट गई । पुलिस सूचना पाकर भी 3.30 बजे आई । उस समय तक आग बुझाई जा चुकी थी । पुलिस ने उनकी किसी भी प्रकार की सहायता कर सकने में आश्चर्यजनक रूप से असमर्थता व्यक्त की । इसलिए सिख वापिस गुरुद्वारे के भीतर चले गए और गुरुद्वारे के लोहे के दरवाजे पर ताला लगा दिया ।

2 नवम्बर को सेना पालम के आसपास की कालोनियों से शरणार्थियों को ले आई और गुरुद्वारे में 2,000 शरणार्थी हो गए। उनके रहने, खाने और वस्त्रों का प्रबन्ध पूरी तरह स्वैच्छिक प्रयास के द्वारा हुआ। यह भी सौभाग्य की बात थी कि गुरुद्वारा स्वयं क्षतिग्रस्त होने से बच गया।

आठ

दंगे के शिकार इस व्यक्ति के परिवार में उसके पिता, चार भाई, मां, दो भाभियां, पत्नी और बच्चे थे। यह परिवार एक बेकरी, एक किराने की दुकान और एक छोटी रासायनिक इण्डस्ट्री का मालिक था।

एक नवम्बर को दिन के 11 बजे के करीब लगभग 400 लोगों की भीड़ ने दुकान और फैक्टरी पर हमला किया। पिता और चार भाई बाहर आए और उनसे बहस की। कुछ इंका कार्यकर्त्ताओं ने समझौता करवा दिया और आई हुई भीड़ से वापस जाने को कहा। भीड़ के आठ आदमी भी जो दुकानों के अन्दर जाकर लूटपाट कर रहे थे, बाहर आ गए और वापिस चले गए।

पन्द्रह मिनट के बाद लगभग 2,000 लोगों की भारी भीड़ आई और उसने दुकानों और फैक्टरियों को जला दिया।

स्थानीय इंका कार्यकर्त्ताओं में से एक की उचित दर की दुकान भी थी लेकिन कालोनी के निवासियों की शिकायतों के परिणामस्वरूप यह दुकान उसके नाम से निरस्त करके इस परिवार को अलाट कर दी गई। ऐसा लगता है, झगड़े का मूल कारण यही ईर्ष्या थी।

इस दंगाप्रभावित व्यक्ति के घर के बाहर 'ओ३म्' बना हुआ था और जब तक कोई स्थानीय व्यक्ति न बताए, इसे सिख के घर के रूप में नहीं पहचाना जा सकता था।

इस व्यक्ति के पिता, तीन भाइयों और भाभी को मारा-पीटा गया और जला दिया गया। जलाने के लिए एक प्रकार के रासायनिक द्रव और सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया।

यह व्यक्ति पड़ोस के एक जाट मित्र के घर छिपकर बच पाया। इसने अपने केश कटवा लिए और पालम हवाई अड्डे पर चला गया, जहां से 4 नवम्बर को

लौटा। पुलिस ने कोई सहायता नहीं की इस क्षेत्र (साध नगर) में 72 घंटों तक बिजली नहीं थी। सेना ने सहायता-कार्य 3 नवम्बर से शुरू किया।

इस भुक्तभोगी के पास अब विधवा मां, विधवा भाभी, भाई के बच्चे और स्वयं अपना परिवार है जिसका उसे भरण-पोषण करना है। यह अपने पहले वाले घर में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वह उसे असुरक्षित लगता है लेकिन दिल्ली के किसी सुरक्षित इलाके में रहने और अपनी बेकरी फिर से लगाने के लिए तैयार है। उसने बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर रखा है।

भीड़ के नेता को पहचाना जा चुका है। वह एक स्थानीय इंका कार्यकर्ता है और भूतपूर्व संसद सदस्य का दाहिना हाथ समझा जाता है।

नौ

न्यू फ्रेंड्स कालोनी में रहने वाले एक गैर सिख चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा भेजे गए हालात के आंखों देखे विवरण का सारांश नीचे दिया जा रहा है। विवरण की शुरूआत यूं है :

"हम यह मानते रहे हैं कि दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। देश के विभिन्न भागों से आती दंगों की खबरें एक दूरी का, एक अलग होने का अहसास जगाती थीं—कि दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता। इस 30 अक्तूबर तक ऐसा ही लगता था।"

उसने बताया कि आकाशवाणी से श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद से मित्रों के टेलीफोन आने लगे। उन्होंने शहर के विभिन्न भागों—जोरबाग, रिंग रोड, सफदरगंज एन्क्लेव—में सिखों के बुरी तरह पीटे जाने और अन्य प्रकार से परेशान किए जाने की घटनाओं की सूचना दी। संकट की आशंका को देखते हुए उसने और उसके एक मित्र ने अपने एक सिख मित्र को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जाने का फैसला किया जो देर रात को दिल्ली पहुंचने वाला था। वापसी में उन्होंने आउटर रिंगरोड पर आई० आई० टी० के पास एक कार जलती हुई देखी। इसके बाद एक बस को जलते हुए देखा। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने एक टैक्सी-स्टैंड पर पांच टैक्सियों को जलते देखा। इस समय तक आधी रात हो चुकी थी। अपने मित्र को पंचशील एन्क्लेव छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ और जलते हुए वाहन और विंडस्क्रीन के टूटे हुए शीशों के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए देखे।

पूरे रास्ते में उन्होंने सिर्फ दो पुलिस कर्मियों को देखा जो निःशस्त्र थे। उनमें से एक तो भीड़ के साथ सिखों पर पत्थर फेंक रहा था और दूसरा और हमले में भीड़ का साथ देने के लिए लोगों को उकसा रहा था।

भीड़, लाठियों, डंडों और लोहे की छड़ों से लैस थी। उन्होंने भीड़ के पास या घिरे हुए सिखों के पास कोई आग्नेय अस्त्र नहीं देखा।

न्यू फ्रेंडस कालोनीमें उन्होंने सिखों की कई दुकानें जलती हुई देखीं। बीच-बीच में पड़ने वाली हिन्दुओं की दुकानों को हाथ भी नहीं लगाया गया था।

पास ही खड़े दो ट्रकों में आग लगा दी गई थी। इसके बाद भीड़ दुकानों के पीछे स्थित गुरुद्वारे में घुसी। गुरुद्वारे के अहाते में बने कमरे में लूट-पाट और तोड़-फोड़ की गई। बिल्डिंग को आग लगा दी गई।

टेलीफोन पर पुलिस से सम्पर्क करने के प्रयास निष्फल रहे। पुलिस के दखल देने की तो बात ही दूर है, उसने उसकी उपस्थिति के भी कोई चिह्न नहीं देखे। उसके अनुसार पुलिस की अनुपस्थिति ने भीड़ का दुःसाहस बढ़ा दिया। उसने अनुभव किया कि, "दूरदर्शन पर जोरदार शोक-प्रदर्शन और आम जनता की नाराजगी के दृश्य उपद्रवी भीड़ के रोष को शान्त करने में सहायता नहीं दे रहे थे।"

उसी दिन दोपहर बाद उसने एक भीड़ को बड़ी तसल्ली और इत्मीनान से एक घर लूटते हुए देखा। लूटने वालों में कोई झगड़ा या होड़ नहीं थी। आधे घंटे के अन्दर, घर को पूरी तरह लूट लेने के बाद उसमें आग लगा दी गई।

लगभग चार बजे जब लूटपाट चल रही थी, पुलिस के एक वाहन का सायरन सुनाई दिया। इससे लुटेरे संशकित होकर तितर-बितर होने लगे लेकिन वाहन आगे चला गया और भीड़ फिर से इकट्ठा हो गई।

दस

एक 75 वर्षीय वयोवृद्ध सैनिक अधिकारी—जो 1958 में रिटायर हुए थे—ने बताया है कि एक भीड़ ने—जिसमें ज्यादातर हरिनगर डिपो के डी. टी. सी. बस की ड्राइवर थे और उनके साथ असामाजिक तत्व भी थे—हरिनगर के 'जी' ब्लाक की दुकानों और आसपास के घरों पर हमला किया। लूट के बाद आगजनी हुई। इस इलाके में खड़ी हुई कारों, प्राइवेट बसों, ट्रकों और स्कूटरों को भी आग

लगा दी गई। इलाके के सिख निवासी फतेह नगर और शिव नगर के हिन्दू पड़ोसियों के साथ बाहर आ गए और उपद्रवियों को ललकार कर भगाने में सफल रहे।

तीन नवम्बर की दोपहर को तिलक नगर थाने का एस० एच० ओ० जीप में आया और उसने लोगों से अन्दर जाने को कहा। पिछले दिन के अनुभव के कारण लोगों ने पुलिस पर विश्वास नहीं किया और कुछ लोग गलियों में पहरा देते रहे। यह देखकर एस० एच० ओ० ने कुछ कांस्टेबलों को इस सैनिक अधिकारी के घर भेजा। कांस्टेबलों ने परिवार के सदस्यों को गाली देना और मारना-पीटना शुरू कर दिया। एक सदस्य को तो बन्दूक से धमकाया भी गया। उन्होंने इस 75 वर्षीय बुजुर्ग को भी पीटा और उसका लाइसेंसशुदा खाली रिवाल्वर—जो 1944 से उसके पास था—भी छीन लिया। वे उसे बालों से घसीटते हुए जीप तक लाए और लगातार बन्दूकों के कुन्दों से पीटते हुए थाने ले गए। उससे कहा गया कि अगर वह छूटना चाहता है तो दो सिखों की हत्या करे।

पुलिस स्टेशन में उसे बन्द कर दिया गया और फिर से इतना पीटा गया कि उसका खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। उसे एक सब-इंपेक्टर (जिसका उसने नाम भी बताया) ने पीटा जो चिल्ला रहा था कि इलाके में कोई भी सिख दाढ़ी और केशों के साथ नहीं रह सकता। उसने अपनी पिटाई करने वाले चार पुलिसकर्मियों में से दो—एक एस० आई० और एक ए० एस० आई०—के नाम बताए हैं। अगले दिन पुलिस उसे अदालत में ले गई जहां उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसे तिहाड़ जेल में कुछ मुजरिमों के साथ बन्द कर दिया गया। वह 12 नवम्बर को जमानत पर छूट सका।

ग्यारह

इस गवाह का स्वर्गीय पति एक चाय की दुकान का मालिक था। ये मूलत: अलवर के रहने वाले हैं। 1977 में त्रिलोकपुरी में 22.5 वर्गगज भूमि पर इनका पुनर्वास किया गया और घर बनाने के लिए 2,000 रु० का ऋण दिया गया था।

इसका पति और तीन बेटे (सबसे बड़ा 28 वर्ष का था और रेलवे में कुली था, दूसरा बीस वर्ष का था और किराये का स्कूटर-रिक्शा चलाता था, तीसरा 14 वर्ष का किशोर था) सभी 1 नवम्बर को मार डाले गए।

इसने बताया कि 1 नवम्बर को कुछ लोग घूम-घूमकर दुकानों के शटर गिराने के लिए कह रहे थे। जिन लोगों ने दुकानें बन्द कर दी थीं, वे अपने घरों को लौट गए थे। तब उनके ब्लाक का प्रधान (इंका कार्यकर्ता) घूम-घूमकर लोगों को इकट्ठा करने लगा क्योंकि एक भीड़ गुरुद्वारा जलाने के लिए आ रही थी। जल्दी ही पुलिस आ गई और सबको अपने-अपने घरों में जाकर बैठने के लिए कहने लगी। पुलिस ने यकीन दिलाया कि घर के भीतर बैठने से ही वे लोग सुरक्षित रह सकेंगे। जब भीड़ पहली बार आई तो सिख बाहर आ गए और उसे वापस खदेड़ दिया। इस तरह से तीन बार भीड़ को खदेड़ा गया लेकिन हर बार पुलिस आई और उनसे घर जाने और वहीं रहने के लिए कहा।

चौथी बार भीड़ में ज्यादा लोग थे और उन्होंने एक-एक घर पर हमला करना, लोगों को बाहर निकालकर पीटना और जलाना और घरों को आग लगाना शुरू कर दिया। हत्याओं का तरीका बिल्कुल वही था। सिर पर प्रहार किया जाता था, कभी-कभी खोपड़ी तोड़ दी जाती थी, किरोसिन छिड़का जाता था और आग लगा दी जाती थी। जलने से पहले कइयों की आंखें निकाल दी गई। कहीं-कहीं जब जलते हुए आदमी ने पानी मांगा, एक आदमी ने उसके मुंह में पेशाब कर दिया।

कई लोगों ने—जिनमें इसकी बहन का बेटा भी था—अपने केश काटकर बचने की कोशिश की। इनमें से भी अधिकतर मार डाले गए। कुछ लोगों के बाल जबरदस्ती काटे गए लेकिन इस पर भी बाद में उन्हें मार दिया गया।

घर की सभी कीमती चीजें—जिनमें 7,000 रु० नकद, रेडियो, टी० वी० और अन्य वस्तुएं शामिल हैं—खो चुकी हैं। चार बच्चों की अधेड़ मां होने के बावजूद इसके साथ बलात्कार हुआ लेकिन वह भगवान की दया से बच गई। उसे कई बार परेशान किया गया और दो-तीन बार उसके कपड़े फाड़े गए। उसने बताया कि घायल हुई औरतें जब अपने घरों से बाहर भागीं तो गुज्जर (चिल्ला गांव के), भंगी और कुछ अन्य लोग एक-दूसरे से पूछने लगे कि उन्हें कौन-सी औरत पसन्द है। इसके बाद वे उनके साथ बलात्कार के लिए बढ़े। उसने लोगों को चिल्ला-चिल्लाकर एक-दूसरे से कहते सुना कि हर सिख को मार डालो, अगर एक भी बच गया तो हमारे लिए बुरा होगा।

इसके ससुर के परिवार में 21 मर्द थे। सभी मार डाले गए। उसके भाई को पीटा गया और मृत समझ कर छोड़ दिया गया लेकिन सौभाग्य से वह बच गया।

बारह

नांगलोई में रहने वाला यह लहराती हुई सफेद दाढ़ी वाला धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो संत जैसा दिखाई देता है, मूलतः रावलपिंडी का है। पहले उसने विभाजन के दौरान सब कुछ खो दिया था।

उसने आयोग को सूचित किया कि 1 नवम्बर को लगभग 1.00 बजे कई ट्रक और ट्रैक्टर जिनकी ट्रालियों में पत्थर भरे थे, बहादुरगढ़ की दिशा से आए। यह उस वक्त हुआ जब कहा रहा था कि दिल्ली-हरियाणा का बार्डर सील कर दिया गया है। ड्राइवरों और पैसेंजरों ने इलाके में आतंक बरपा कर दिया। पहले घरों पर पथराव किया, फिर दरवाजे तोड़कर उन्हें लूटा और आखिर में पुरुषों को बाहर घसीट कर मार दिया गया। उसने बताया कि नांगलोई में 65 सिख पुरुषों की हत्या हुई। सिर्फ औरतें, दो बूढ़े मर्द और छोटे बच्चे बच गए। पत्थरों के अतिरिक्त भीड़ के पास कीलजड़ी छड़ें, किरासिन और ज्वलनशील पाउडर था। उसने बताया कि एक राजनीतिक नेता मोटर साइकिल पर आया और सिखों के घरों को पहचानने लगा। यह पूछने पर कि उसने मोटर-साइकिल सवार को कैसे पहचाना, उसने बताया कि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं क्योंकि अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास जाता रहा हूं।

एफ० आई० आर० 4 और 5 नवम्बर को ही दर्ज करा दी गई थी लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई गिरफ्तारी की गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या महिलाओं को सताया गया, उसने जोर देकर कहा कि नहीं।

उसने यह भी बताया कि रोहतक और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों को नांगलोई में रोका गया। सिख यात्रियों को गाड़ियों से बाहर घसीटकर पीटा गया और उनकी हत्या की गई।

तेरह

दिल्ली राज्य के पशुपालन केन्द्र का एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर यह गवाह दिल्ली के दक्षिणी छोर पर रहता है। यह स्वयं अनुरोध करके आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। यह सब्जियां उगाता है, मुर्गियां पालता है और इसने कुछ पशु भी रखे हुए हैं। आसपास के गांवों से अपने पशुओं से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सलाह लेने के लिए अक्सर आते रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुफ्त चिकित्सक का काम भी करता है।

उसने बताया कि जब प्रधानमंत्री की हत्या की खबर फैल गई तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं भड़कीं। उसने लोगों के समूहों को इलाके के सिखों के घरों के आसपास मंडराते और उनमें जाते देखा। बाद में इन घरों पर हमला किया गया और लूटा गया। इसके फार्म से कुछ मुर्गियां और एक भैंस चुराई गई और मुख्य भवन को नुकसान पहुंचाया गया। यह विस्तार में जाने का इच्छुक नहीं था और इसने कहा कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। इसे उपद्रवियों के प्रति कोई विशेष शिकायत नहीं थी क्योंकि यह महसूस करता है कि उन्हें इन दुष्कृत्यों में धकेला गया था।

इसने बहुत जोर देकर आयोग से कहा कि मेरी मुख्य चिन्ता भविष्य को लेकर है। संक्षेप में उसने कहा कि जब असामाजिक शक्तियों को गलत काम करने और बिना किसी डर के कानून तोड़ने में समर्थ बना दिया गया है या वे खुद इतनी शक्तिशाली हो गई हैं तो इस देश का भविष्य क्या होगा? इसने कहा कि मेरी एक-मात्र चिन्ता यही है और मैंने आयोग से साक्षात्कार भी इसलिए चाहा था कि उनसे देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त करने वाले कदम उठाने का आग्रह कर सकूं।

चौदह

सेना में सेवारत एक एन० सी० ओ० ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखे एक पत्र की प्रतिलिपि आयोग को दी। वह पांच दिन की आकस्मिक छुट्टी बिताकर 2 नवम्बर 1984 को फ्रंटियर मेल द्वारा अमृतसर से दिल्ली लौट रहा था।

उसका कहना है कि वह यमुनापार दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों को रोके जाने और कुछ सिख जवानों समेत सिख यात्रियों को पीटे जाने या मार दिये जाने का गवाह है। पीटने के बाद कुछ को दरिया में फेंक दिया गया जबकि बाकी को जिन्दा भून दिया गया। दाढ़ी या केश मुंड़ा लेने पर कुछ यात्रियों की जान बच गई। उसने कुछ मृत सिखों के केश और दाढ़ी मूंड़े जाते हुए भी देखीं। केश और दाढ़ी मूंड़ने के बाद उनके चेहरों पर किरोसिन डालकर आग लगा दी गई ताकि उन्हें पहचाना न जा सके। दो घंटे बाद ट्रेजरी के गार्ड ने तीन हवाई फायर किए जिसकी वजह से भीड़ तितर-बितर हो गई और ट्रेन चली। उसने कहा है कि दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर मैंने कई सिखों के शव देखे। उसने दिल्ली स्टेशन पर आर० टी० ओ० को अपने अनुभव की रिपोर्ट दी।

उसने लिखा कि मुझे वर्दी में होने के कारण छोड़ दिया गया। और यह भी लिखा कि भीड़ ने मुझे बताया कि हम तुम्हें इसी कारण जाने दे रहे हैं।

पन्द्रह

इक्कीस दिसम्बर को आयोग के तीन सदस्यों ने सुलतानपुरी और मंगोलपुरी का दौरा किया। उन्होंने बर्बाद घर और वह भयानक विध्वंस देखा जो वहां बरपा हुआ था। हिंसा की कहानियां लगभग वैसी ही थीं जैसी उन्होंने पहले सुनी थीं। नई बात यह थी कि यहां पुलिस ने गलियों में आत्मरक्षा के लिए झुण्ड बनाकर खड़े सिखों पर गोली चलाई। उन्होंने एक ऐसे पुलिस-अधिकारी का नाम भी बताया है जिसने समूह पर गोलियां चलाईं और दो व्यक्तियों की जान ली। कुछ घरों पर ·303 राइफल की गोलियों के निशान भी आयोग के सदस्यों को दिखाए गए। एक चली हुई गोली एक दीवार में धंसी मिली। वह पुलिस अधिकारी अभी तक सुलतानपुरी थाने में ही नियुक्त था और उसका सिख निवासियों को धमकाना और गालियां देना जारी था।

आयोग को कई दंगाइयों के नाम बताए गए जिनमें एक किरोसिन डिपो के मालिक का नाम भी है। कहा जाता है कि उसने मुफ्त में मिट्टी का तेल सप्लाई किया। जिन अन्य लोगों के नाम बताए गए, वे हैं—ब्लाक प्रधान(इंका कार्यकर्ता), एक अन्य तेलविक्रेता और एक इंका कार्यकर्ता जो एक प्रमुख इंका नेता का खास विश्वासपात्र माना जाता है।

स्थानीय दंगाई अब भी बचे हुए निवासियों—जिनमें उस समय लगभग सभी औरतें और बच्चे ही थे—को डराते-धमकाते रहते हैं। लगभग सभी मर्द राजस्थान भए थे और कम-से-कम चुनाव होने तक वहीं रहने की योजना बना रहे थे। आयोग को एक मुसलमान निवासी को परेशान किए जाने के बारे में भी बताया गया। उसने सिखों की हिफाजत और मदद की थी जिसके लिए उसे पीटा गया। यहां तक कि 12 दिसम्बर को भी उसे सिखों को सलाह और मदद जारी रखने की वजह से धमकाया गया।

सोलह

दंगापीड़ित यह व्यक्ति जो मूलतः अलवर का रहने वाला है, 25 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। 1977 में अन्य लोगों के साथ उसे भी ब्लाक-32,

त्रिलोकपुरी में स्थानान्तरित कर दिया गया। वह निजी साइकिल-रिक्शा चलाता था और उसका अपना दो कमरों का पक्का मकान था।

उसने आयोग को बताया कि उसके परिवार के 9 पुरुषों में से 7 मारे गए हैं। केवल वह और उसका भाई बचे हैं। उसके भयावह अनुभव का सारांश इस प्रकार है :

एक नवम्बर की दोपहर में ये सब हत्याएं हुई। हत्याओं का आम तरीका यह था कि पहले तो अपने शिकार को पीट-पीटकर हिलने-डुलने में असमर्थ कर दिया जाता था। उसके बाद उस पर किरोसिन उंडेलकर आग लगा दी जाती थी। उसने बताया है कि पहले जब सिख अपने बचाव के लिए इकट्ठा हुए तो उन्हें देखकर एक हवलदार (उसने उसका नाम बताया) और दो कांस्टेबल आए। हवलदार ने गोली चलाकर सिखों के समूह में से एक को मार डाला। उसने आक्रमणकारी भीड़ का नेतृत्व कर रहे तीन स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों का नाम भी बताया है। जब सिख इकट्ठा हो गए तो भीड़ तितर-बितर हो गई लेकिन पुलिस ने सिखों से अपने-अपने घर जाने का आग्रह किया। जब उन्होंने वापस जाकर खुद को अपने-अपने घरों में बन्द कर लिया तो भीड़ फिर आ गई और उसने सब घरों के साथ लगभग एक जैसा बर्ताव किया।

पहले उन्होंने घर के लोगों को बाहर निकलने के लिए कहते हुए दरवाजे खटखटाए। अगर वे नहीं निकले तो दरवाजे तोड़ दिए गये और घर के लोगों को खींचकर बाहर निकाला गया। और उन्होंने दरवाजे खोल दिये तब भी उनके साथ यही किया गया—पहले उन्हें पीटा गया—कभी कभी तो वे बेहोश भी हो गये, उसके बाद एक-एक पर किरोसिन उंडेलकर आग लगा दी गई। लगभग सभी मामलों में पड़ोसियों ने मदद नहीं की बल्कि हिंसा में भाग लिया। उसने बताया कि चार तरह (हमला एवं डाका, बलात्कार, आगजनी, और हत्या) के मुकदमे दर्ज किये गये थे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन थोड़े-से अपराधियों को पकड़ा गया था, वे भी कुछ दिनों में छोड़ दिये गये। वे अब तक बाहर हैं और लोगों को डरा-धमका रहे हैं। चोरी गई सम्पत्ति को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई और कोई भी चीज वापिस मालिक को नहीं मिली।

उसने यह आरोप भी लगाया कि बैंक के अधिकारियों और या सरकारी कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दिये गये मुआवजे के चेक वितरित करने में धोखा-धड़ी की।

सत्रह

यह गवाह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा नियुक्त 'रागी' है। इसने आयोग को बताया कि एक गुरुद्वारे में ड्यूटी होने के कारण वह 1 नवम्बर को सवेरे 7 बजे घर से निकला और एक बस से पंजाबी बाग पहुंचा जहां से उसे दूसरी बस लेनी थी। उसे एक भीड़ ने घेर लिया और मारपीट की। उसके केश जबर-दस्ती काट दिये गये। वह किसी तरह बच निकला। घर लौटकर उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया और किसी सुरक्षित स्थान पर चला गया। परिवार को इकट्ठा करने में उसे कुछ समय लगा। इस समय में उसने देखा कि स्थानीय किरोसिन विक्रेता और एक स्थानीय इंका नेता भीड़ को मुफ्त में किरोसिन दे रहे थे। उसने पांच महीने के गर्भ वाली स्त्री को एक घर के भीतर घसीटे जाते देखा। वह काफी देर तक बाहर नहीं आई।

तीन नवम्बर को उन्हें एक राहत-शिविर में ले जाया गया। एफ० आई० आर० 3 या 4 नवम्बर को ही दर्ज करा दी गई थीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन लोगों ने उनके साथ पशुवत् व्यवहार किया था, वे अब भी उन्हें धमकाते रहते हैं और सिखों के बारे में मजाक करते रहते हैं। यह पूछे जाने पर कि वह कैसे जानता है कि दंगाई इंका के आदमी थे, उसने उत्तर दिया कि वे सब 'इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद' और 'सज्जन कुमार जिन्दाबाद' जैसे नारे लगा रहे थे।

अट्ठारह

एस० एस० मोतासिंह स्कूल शिविर का दौरा करते हुये आयोग ने स्थानीय कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा दिया गया विवरण सुना। हिंसा की सामान्य पद्धति का वर्णन इस प्रकार किया गया :

कुछ वयस्क लोगों ने लड़कों के समूह को उकसाकर उनका नेतृत्व किया। इस समूह को मुफ्त की शराब, लोहे की छड़ें और किरोसिन या पेट्रोल भी दिया गया। फिर उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया। वे लोगों को पीटने लगे। कुछ लोगों को पीटने के बाद जला दिया गया। केवल सिखों के घर जलाये गये—और इनकी पहचान भीड़ का एक नेता कर रहा था। जो बच निकले और मदद के लिये पुलिस के पास गये, उनकी उपेक्षा की गई। या फिर इससे एक कदम और आगे,

खुद पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पता चला है कि दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों ने दंगे के शिकार हुये व्यक्तियों द्वारा पहचान लिये जाने के डर से हत्याओं के लिये उकसाया।

इन दंगों की एक आम रिपोर्ट कुछ इस तरह होगी : 'कृपाण लिये हुये सिख भारी संख्या में सामने आये तो एक जगह एक छोटा-सा समूह इकट्ठा हो गया। सिखों से डर महसूस करने के कारण उन्होंने सिखों पर हमला कर दिया।'

चोरी गयी सम्पत्ति को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई। पुलिस ने सिर्फ रिहायशी बस्तियों में जाकर लोगों से अपील की कि चुराई हुई चीजें वापस कर दें। इस तरह से कुछ चीजें मिलीं तो सही लेकिन उनमें से 10% भी असली मालिकों को नहीं लौटाई गईं।

जनकपुरी के इलाके में 14 गुरुद्वारे जला दिए गए। एस० एस० मोतासिंह स्कूल की बिल्डिंग को जला दिया गया और उसका धातु का दरवाजा तोड़ दिया गया—और यहां से स्थानीय पुलिस थाना सिर्फ 250 गज की दूरी पर है। पास के ही एक स्कूल की बिल्डिंग और ग्यारह बसें जला दी गईं। पुलिस की सहायता प्राप्त करने की कोशिश बेकार रही।

कई लोगों ने एक महत्वपूर्ण इंका राजनेता के साले को भीड़ को निर्देश देते या भड़काते हुये देखा। उन्होंने कुछ नौजवानों को मोटर-साइकिल पर भीड़ के पास आते हुये भी देखा। संभावना यही है कि वे उन्हें निर्देश पहुंचाने आये थे, या फिर मार्ग-दर्शन करने।

इलाके के निवासी इंका से क्षुब्ध थे क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि इंका प्रतिनिधि ही हिंसा के लिये जिम्मेदार थे। वे इस बात से और भी अधिक क्षुब्ध थे कि हिंसा के बाद इंका या किसी भी अन्य राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि उन्हें किसी तरह की सहायता या सहानुभूति देने नहीं आया।

4. निष्कर्ष

अपनी जांच-पड़ताल से हम प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) में कुछ निष्कर्षों तक पहुंचे हैं।

निष्कर्ष बताने से पहले हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि शुरू में हमने प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू के लिए समय मांगते हुए उन्हें एक पत्र (परिशिष्ट 'क') लिखा था। इसके साथ ही हमने एक टिप्पणी भी भेजी थी। तत्काल सुधार के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए गए थे। हमारी राय में, उन सुझावों के अनुसार कदम उठाने से दुःखी लोगों को और वस्तुतः सभी कानूनप्रिय लोगों का विश्वास फिर से दृढ़ होने में सहायता मिलती लेकिन हम साक्षात्कार प्राप्त करने में असफल रहे। हमें इस बात की भी सूचना नहीं मिली कि हमारे सुझावों पर ध्यान दिया गया या नहीं।

हमने केन्द्रीय गृहमंत्री को भी एक पत्र (परिशिष्ट 'घ') लिखा जो केन्द्रशासित राजधानी में शान्ति और सुव्यवस्था के लिए मंत्रिमंडल के उत्तरदायी सदस्य हैं। इस पत्र के साथ हमने एक प्रश्नावली भी लगाई थी जिसमें हमने साक्षात्कार के दौरान किए जाने वाले सवालों का जवाब मांगा था। हमारा विचार है कि ये प्रश्न समस्या के मर्म तक पहुंचते हैं। उनमें ऐसी स्थितियां पैदा होने से रोकने वाले, स्थिति को सुधारने वाले और दोषियों को दण्ड देने वाले कदम सुझाए गए थे और जनता में विश्वास लौटाने के लिए हालात को बेहतर बनाने वाले कदमों का प्रस्ताव भी था। बार-बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद हमें साक्षात्कार के लिए समय नहीं दिया गया और हमारी जांच से सम्बन्धित प्रश्न प्रत्यक्षतः उत्तरदायी अधिकारियों के द्वारा अनुत्तरित रहे। प्रमाणिक सरकारी उत्तरों के अभाव में लाचार होकर हमें वांछित जानकारी के लिए जो भी साधन उपलब्ध थे, उन्हीं पर निर्भर करना पड़ना। फिर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी नहीं मिल पाए हैं। अपनी रिपट में हमने कई बार इन सवालों का उल्लेख किया है। इन प्रश्नों के अनुत्तरित रह

जाने का परिणाम संदेहों के और अधिक बढ़ने तथा संकट के समय प्रशासन की भूमिका के सम्बन्ध में जनता में खराब राय बनने के रूप में सामने आ सकता है।

पिछले तीन वर्षों या उससे भी पहले से पंजाब में लगातार बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति देश में विभाजन के बाद होने वाले सबसे बड़े नर-संहार की भूमिका बनी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की नृशंस हत्या ने इस संहार को उकसाया। कुछेक स्थानीय विभिन्नताओं के बावजूद अपराधों की उल्लेखनीय एकरूपता इस तथ्य की ओर सशक्त संकेत करती है कि कहीं-न-कहीं इन सबका उद्देश्य 'सिखों को सबक सिखाना' हो गया था। पुलिस और प्रशासन की अविश्वसनीय और असीम असफलता; संदिग्ध राजनीतिक तत्वों द्वारा भड़काया जाना; संचार-माध्यमों की भ्रामक भूमिका और सरकारी मशीनरी की निष्क्रियता, उदासीनता और उपेक्षा सभी निम्नांकित निष्कर्षों तक ले जाते हैं।

पुलिस और प्रशासन की भूमिका

पंजाब और दिल्ली में कुछ समय से हिंसा और आतंक का वातावरण बन रहा था जिसके साथ राजनैतिक हत्याओं का खतरा भी जुड़ा हुआ था। इसे देखते हुए समुचित सुरक्षात्मक और निरोधात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया था—खास तौर पर प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबन्ध बहुत जरूरी था।

आयोग की राय है कि प्रधान मंत्री पर हमले और उनकी मृत्यु की सरकारी घोषणा के बीच का समय प्रशासन द्वारा हिंसा एवं नागरिक अव्यवस्था रोकने के आवश्यक कदम उठाने के लिए काफी से ज्यादा था।

शाम को काफी देर तक—जब कई वारदातों की सूचना मिल चुकी थी—सड़कों पर से पुलिस की अनुपस्थिति के अनेक आरोप लगाए गए हैं। जहां कहीं पुलिस दिखाई दी, वहां भी ये आरोप हैं कि उसने उदासीनता और उपेक्षा से काम लिया या इससे भी एक कदम आगे जाकर भीड़ को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किए जाने से पता चलता है कि वारदातें होने और हिंसा के और बढ़ने की संभावना की सूचना सरकार को मिल चुकी थी। इकतीस अक्तूबर की रात या अगली सुबह भी निषेधाज्ञा लागू करने के गंभीर प्रयास हमारे देखने में नहीं आए।

सरकारी सूत्रों से सम्बन्धित जानकारी के अभाव में संचार-व्यवस्था की पर्याप्तता के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। जो हो रहा था, उसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन को उपलब्ध हो या न हो, इतना स्पष्ट है कि अधिकारियों के स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया को एक निष्क्रियता ने अपनी जकड़ में ले लिया था।

अधिकारियों के पास उपलब्ध निरोधक मशीनरी का उन्होंने कैसा इस्तेमाल किया, या फिर बिगड़ती हुई स्थिति को वे ठीक-ठीक समझ पाए या नहीं—इसका फैसला करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसी तरह, स्थानीय संगठनों को किस प्रकार की जानकारी दी गई या किस प्रकार की कार्रवाई के निर्देश दिए गए, इस विषय में भी हम कुछ नहीं जानते। आयोग के सामने पेश किए गए ब्यौरे प्रभावित क्षेत्रों में हो रही घटनाओं पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या दूसरे अधिकारियों की चिंता का जरा-सा भी संकेत नहीं देते। उनके पक्ष से व्यक्तिगत अथवा पुलिस बल के रूप में कुछ भी न सुन पाने के कारण हमारे लिए यह कहना कठिन है कि निरन्तर बढ़ती हुई हिंसा की स्थिति में वे क्या कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, हमें उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हमने जाना है कि शुरू में कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन इन चार दिनों के दौरान निरन्तर हिंसा का शिकार हुए अनेक कालोनियों के निवासियों में सुरक्षा और विश्वास लौटाने के लिए व्यवस्थित ढंग से कोई कदम उठाए जाने के कोई प्रमाण नहीं हैं। लूट, अव्यवस्था, आगजनी, हत्या, बलात्कार और अपहरण के अपराधों की जांच-पड़ताल किए जाने की भी कोई सूचना नहीं है। इसके अतिरिक्त दोषियों पर मुकदमा चलाए जाने की भी सूचना नहीं है। इसके विपरीत शुरू में गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़ दिये जाने के बहुत सारे आरोप हैं। लुटेरों, आगजनी करने वालों, और हत्या एवं अन्य भीषण अपराधों के अभियुक्तों की जमानत के लिए 250 रुपये की तुच्छ राशि, या व्यक्तिगत बाण्ड या फिर सिर्फ राशन कार्ड पेश कर देना ही पुलिस ने स्वीकार किया। यहां तक कि नृशंस हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों को भी पुलिस ने या तो जमानत पर और या फिर (सूचना के अनुसार) किसी राजनेता के हस्तक्षेप के कारण छोड़ दिया।

इस प्रकार के हस्तक्षेपों ने न केवल राजनीति को अपराधियों की ढाल बनने बल्कि कानून तोड़ने वालों के एक वर्ग को सज़ा के डर से मुक्त करने में भी मदद की है। कमीशन को बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में पुलिस ने लूटी गई सम्पत्ति को ढूंढने और वापिस लौटाने की कोशिश करने की बजाय लुटेरों से अपील की कि

वे खुद-ब-खुद इसे वापिस कर दें। इसके बदले में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

सेना की भूमिका

इस प्रकार की स्थितियों में सेना की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। नागरिक प्रशासन उपलब्ध साधनों से गम्भीर अव्यवस्था पर नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जाए तो वह अपनी सहायता के लिए सेना को बुला सकता है। दिल्ली में सेना बुलाए जाने से पहले ऐसी ही गंभीर स्थिति थी।

जब भी नागरिक प्रशासन सहायता के लिए सेना को बुलाता है, उसका अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाता है कि सेना के साथ अंतरंग और निकट सम्पर्क स्थापित करके उसकी सहायता का अधिकाधिक लाभ उठाए, अशान्त क्षेत्रों के विषय में उसे पूरी जानकारी दे और हर संभव तरीके से उसकी सहायता करे ताकि सेना के कार्य का पूरा प्रभाव पड़ सके। लेकिन, यहां जब अंततः सेना को अधिकार दिये गये, निम्नलिखित कारणों से उसका काम ठीक तरह से नहीं हो सका :

1. दिल्ली प्रशासन, पुलिस और सेना के बीच प्रभावी तालमेल की कमी। आश्चर्य की बात है कि कोई भी केन्द्रीय नियंत्रण स्थल नहीं था। प्रशासन पुरानी दिल्ली से, पुलिस इन्द्रप्रस्थ एस्टेट से और सेना छावनी से काम करती रही;

2. शुरूआत में तैनात किए गए सैनिकों की कम संख्या;

3. हाल में विकसित हुए इलाकों की अपर्याप्त जानकारी। आयोग को दिए गए कुछ बयानों के अनुसार सेना की इकाइयों के पास पुराने नक्शे थे। जिनमें हाल में बनी रिहायशी कालोनियां—उदाहरण के लिए यमुना पार की कालोनियां—नहीं थीं;

4. कुछ पुलिसकर्मियों के विषय में यह आरोप है कि उन्होंने रास्ता पूछने वाली सैनिक टुकड़ियों को जान-बूझकर गुमराह किया;

इन कमियों के बावजूद सेना ने अपनी परम्परा के अनुसार हिंसा को दबाने और शरणार्थियों को बचाने में सराहनीय दक्षता से कार्य किया।

राजनीतिक दलों की भूमिका

आयोग के समक्ष अपने अनुभव बताने और आंखों देखे हालात बयान करने के लिए आगे आये बहुत-से लोगों ने खासतौर से, और बार-बार सत्तारूढ़ दल के कुछ राजनेताओं का नाम लिया है। इनमें से कई पिछली लोक सभा, दिल्ली महानगर परिषद और नगर निगम के सदस्य हैं। बीसियों स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और ब्लाक एवं क्षेत्र के प्रधानों के नाम लिए गए हैं। उन पर हिंसा भड़काने, किरोसिन और अन्य ज्वलनशील सामग्री का प्रबन्ध करने और सिखों के घरों को पहचानने के आरोप हैं। इनमें से कुछ पर अधिकारियों के साथ बातचीत करके अपने उन अनुयायियों को छुड़ाने के भी आरोप लगाए गये हैं जिन्हें विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।

अन्य राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई उदासीनता और दोमुंहेपन से भी हम उतने ही क्षुब्ध हैं। इनमें से किसी के द्वारा भी किसी प्रभावित इलाके में सुरक्षा या आश्रय, राहत या सहायता देने में कोई सार्थक भूमिका निभाए जाने के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली है। राजधानी के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में यह एक दु:खद टिप्पणी है कि भयंकर आवश्यकता की घड़ी में राजनीतिक व्यक्तियों पर या तो सक्रिय रूप से दंगे भड़काने या फिर अक्षम्य उदासीनता के आरोप हैं।

संचार-माध्यमों की भूमिका

सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह के संचार-माध्यमों (जिनमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रेस शामिल हैं) की भूमिका, संकट के समय में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होने और खासतौर पर देश की ज्यादातर जनता के अशिक्षित होने के कारण, ये संचार माध्यम स्वाभाविक रूप से जनता में अधिक प्रभाव और पहुंच रखते हैं।

उसी समय स्पष्ट हो गया था कि रेडियो और दूरदर्शन जैसे सरकारी माध्यमों ने प्रधानमंत्री की हत्या के समाचार से शुरू होने वाले इस संकट की खबरों को प्रसारण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सतर्कता एवं दूरदर्शिता से से उपयुक्त रूप नहीं दिया। लोगों की आम राय यही है कि इस प्रकार के प्रसारणों

में दिए जाने वाले समाचार सरकारी सूत्रों से प्राप्त किए जाते हैं जब तक कि किसी अन्य सूत्र का उल्लेख न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस संक्रांत स्थिति में प्रसारित की जाने वाली सामग्री का चयन अत्यन्त सतर्कता और दूर-दर्शिता से होना चाहिए था। इस सतर्कता और दूरदर्शिता का जितना महत्व तैयार किए गए बयानों और अन्य प्रसारण-सामग्री के मामले में है, उतना ही सीधे प्रसारण के सन्दर्भ में भी है।

विध्वंसकारी प्रभाव डालने वाले अविवेकपूर्ण प्रसारण के तीन उदाहरण प्रस्तुत हैं: (क) बहुत जल्दी ही दो हमलावरों का धर्म बता देना; (ख) भीड़ द्वारा लगाये गए उत्तेजक नारों के प्रसारण पर नियन्त्रण न कर पाना और जनता के साथ अति-भावुक साक्षात्कारों का सम्पादन न कर पाना; और (ग) शुरू के प्रसारणों में गलती से यह सूचना देना कि मौतें 'दोनों तरफ से गोलियां चलने के कारण हुईं' जिससे यह गलत आभास उत्पन्न हुआ कि दोनों समुदायों के बीच लड़ाई हुई थी।

कुल मिलाकर राष्ट्रीय प्रेस और संवाददाताओं ने विभिन्न कालोनियों में घटने वाली रक्तरंजित घटनाओं का एक-एक घंटे का ब्यौरा सामने लाकर समाज की महान सेवा की। समाचार सामान्यतः विस्तृत और तथ्यों पर आधारित थे और सम्पादकीय टिप्पणियां ज्यादातर उत्तरदायित्वपूर्ण और रचनात्मक थीं लेकिन कुछ मामलों में प्रेस का एक वर्ग अपने प्रस्तुतीकरण में सयंम और सतर्कता नहीं बरत सका। कई बार इसका प्रभाव भावनाओं को शान्त करने की बजाय भड़काने वाला सिद्ध हुआ।

प्रतिक्रियाएं और रुख

हिंसा भड़कने के पहले दिन से ही जिम्मेदार और नेकनीयत नागरिकों ने इसकी सम्भावित तीव्र प्रतिक्रयाओं को मद्धिम करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, यथासंभव उच्चतम अधिकारियों से स्थिति में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करवा पाने से सभी प्रयास—जैसाकि बाद की घटनाओं से स्पष्ट है—विफल रहे। जो भी निर्देश या आज्ञाएं जारी की गई होंगी, वे या तो प्रशासन और पुलिस के कार्यकारी स्तर तक पहुंची ही नहीं या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि फायर ब्रिगेड की कुछ इकाइयां भी आगजनी की जगहों पर पहुंचने में असफल

रहीं क्योंकि हिंसक भीड़ ने उन्हें धमकियां दी थीं और पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान में या तो असमर्थ थी या उसने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने से इन्कार कर दिया।

जिन लोगों के साथ साक्षात्कार किया गया, उन सब की यह शिकायत और भी ज्यादा अफसोसनाक है कि पुलिस ने उदासीनता और उपेक्षा का व्यवहार किया। कभी-कभी तो उसने हिंसक भीड़ के साथ मिलीभगत से भी काम लिया (यह शिकायत आमतौर पर जूनियर पुलिसकर्मियों के बारे में की गई)। अगर दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा अन्तिम संस्कार और विदेशों से इस मौके के लिए आए प्रतिनिधियों की सुरक्षा की ड्यूटी पर लगा दिया जाता तब भी स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की काफी संख्या उपलब्ध थी, पर यह तभी हो सकता था अगर उसे ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाता। यह एक खेदजनक तथ्य है कि प्रशासन उपलब्ध पुलिसबल का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने में अफसोसनाक हद तक नाकाम रहा। वस्तुतः, अगर उपलब्ध पुलिस-बल को नागरिक व्यवस्था कायम करने में अपर्याप्त समझा गया, तो यह प्रश्न पूछना उपयुक्त होगा कि ऐसी स्थिति में सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० जैसे अतिरिक्त बल जो मदद के लिए तैयार खड़े थे, उन्हें पहले से ही क्यों नहीं तैनात किया गया ? और हालात के लगातार बद से बदतर होते जाने पर भी सेना को बुलाने में देरी किए जाने के क्या कारण थे ?

शुरू में प्रशासन द्वारा स्थिति की गम्भीरता को कम करके देखने पर भी हमें आश्चर्य है। दो नवम्बर को संचार माध्यमों में गृह सचिव और तत्कालीन उपराज्यपाल के बयान आए जिनमें उन्होंने कहा था कि राहत-शिविर स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेना के आ जाने से स्थिति नियंत्रण में आ जायेगी। उस समय तक संहार से बचे हुए लोगों को आश्रय देते हुए 18 अदद कैम्प, पहले से ही अस्तित्व में आ चुके थे। इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर को प्रेस में तत्कालीन गृहमंत्री का यह बयान भी उद्धृत किया गया कि दिल्ली में केवल 5 व्यक्ति मरे हैं जबकि गैर-सरकारी आंकड़े इससे कहीं अधिक संख्या बता रहे थे।

आखिर जब प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझा तब पीड़ितों की सहायता करने के कुछ प्रयास किये गए। स्थिति बुद्धिमत्ता और सहानुभूति की मांग कर रही थी लेकिन दुर्भाग्य से, जो कदम उठाए गये वे हालात को देखते हुए बहुत कम थे।

सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात यह थी कि प्रशासन स्वैच्छिक राहत एजेंसियों के सहज और उदार सहयोग का पूरा और प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं कर

पाया। ये एजेंसियां तब स्वतः सक्रिय हो गई थीं जब हिंसा से किसी तरह बच निकले भयभीत लोगों के रेले के रेले सुरक्षा और सहायता की तलाश में भाग रहे थे। गुरुद्वारों और अन्य स्थानों पर बने कई स्वैच्छिक आश्रयों—जिनमें कई दंगा पीड़ितों को शरण मिली—को तो प्रशासन द्वारा मान्यता भी नहीं दी गई।

बड़े दुःख से यह भी दर्ज करना होगा कि लगभग सभी सरकारी राहत-शिविर समय से पहले ही बन्द कर दिये गये। इनमें रहने वाले ज्यादातर लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया गया। इनमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास लौटने के लिए घर नहीं थे, जिनके घर जलकर राख हो गए थे। जो लोग दुःखद यादों को बार-बार हरा करने वाले इलाकों में लौटने के लिये मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं थे, उन्हें भी जबरन कैम्पों से निकाल दिया गया। जिन इलाकों में हत्यारे और आग लगाने वाले लगातार बेधड़क घूम रहे हैं, उन इलाकों के निवासियों को भी शिविर में नहीं रहने दिया गया। इनमें से अधिकांश लोग गुरुद्वारों या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए गए शिविरों में चले गये।

लेकिन कुछ दंगापीड़ितों से यह सुनकर कि पुलिस और प्रशासन, दोनों के कुछ अधिकारियों ने सराहनीय साहस, अध्यवसाय और ईमानदारी से काम और व्यवहार किया, हमें अपनी संतोष और राहत की भावना भी दर्ज करनी चाहिए। हम खुद उन अधिकारियों की प्रशंसा करना चाहेंगे।

हिंसा में हुई हानि का अनुमान

हानि के पूर्णतः प्रामाणिक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए हैं।

दिल्ली के काफी बड़े भागों में चार दिन तक भीड़ का राज रहने के दौरान जान और माल का जो नुकसान हुआ है, वह हिला देने वाला है। कुछ जिम्मेदार लोगों के अनुमान के अनुसार 2,000 से भी ऊपर लोग मारे गए हैं जिससे 1,000 से ज्यादा औरतें विधवा हो गई हैं और अनगिनत बच्चे यतीम हो गये हैं। सिख-शिक्षा-संस्थानों और कितने ही बड़े और छोटे घरों को जला दिया गया है। ट्रक, टैक्सियां, तिपहियां स्कूटर, कारें, मोटरसाइकिल और स्कूटर सैकड़ों की तादाद में जलाये गए। चल सम्पत्ति, नकदी और आभूषण चुरा लिए गए या नष्ट कर दिए गए।

इस सारे काण्ड का एक उद्विग्न करने वाला पहलू यह भी है कि भारत में सामूहिक हिंसा के इतिहास में पहली बार उपासना-स्थलों पर योजनाबद्ध आक्रमण किया गया। दिल्ली के 450 गुरुद्वारों में से तीन चौथाई के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के समाचार हैं।

राष्ट्र को हुई यह हानि विचारणीय है।

स्वैच्छिक राहत एजेंसियां

इस अवसर पर जबकि दंगा-पीड़ितों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी, उन्हें भोजन, डाक्टरी सहायता, वस्त्र, आश्रय और सर्वाधिक आवश्यक—मनोवैज्ञानिक आश्वस्ति देने का काम लगभग पूरी तरह गैर-सरकारी एजेंसियों पर छोड़ दिया गया था। 4 नवम्बर तक, जब हिंसा में कमी दिखाई दे रही थी, लगभग 50,000 व्यक्ति अस्थायी आश्रयस्थलों में रह रहे थे। हम समझते हैं कि 5 नवम्बर तक इस तरह के कम-से-कम 28 राहत-केन्द्र थे जिनमें से केवल 10 को प्रशासन द्वारा मान्यता मिली थी।

हमने—अत्यधिक प्रशंसा और सम्मान के साथ—स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य देखा है। इनमें से कुछ तो सहानुभूतिवश अपने दुःखी साथी नागरिकों की सहायता के लिए रातोंरात अस्तित्व में आईं। असंख्य नागरिक—ज्यादातर युवा (कालेजों और घरों से), गृहिणियां और सामाजिक कार्यकर्त्ता स्वतः ही सक्रिय हो उठे। उन्होंने भोजन, वस्त्र, आश्रय, डॉक्टरी सहायता, साबुन और सफाई के साधन जुटाने के लिए संगठित स्वैच्छिक प्रयास किए। लम्बी अवधि की सहायता के अन्तर्गत उन्होंने अपने घर लौटना चाहने वाले परिवारों को गृहस्थी की बिस्तर और बर्तनों जैसी मूल आवश्यक चीजें मुहैया की ताकि वे अपने घरों को लौट सकें। लेकिन उनका अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान था—विधवाओं और अपने परिजनों को खो चुके अन्य व्यक्तियों को सान्त्वना देना।

प्रेरणाएं

बेरोकटोक सामूहिक बर्बरता और दुष्टता से भरे चार दिनों के बाद शान्त

होने वाले हिंसा के ताण्डव के कई कारण थे।

स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी की हत्या के कारण लोगों को व्यापक और गहरा आघात और दुःख पहुंचा था। यह भी सच है कि बहुत सारे सिख भी शोक और सदमे की इस भावना में सबके साथ थे। दुर्भाग्य से, इस राष्ट्रीय विपत्ति के समय अत्यधिक सतर्कता और संयम बरतने की बजाय कुछ लोगों ने अपने दल के हितों के लिए, इस मौके को जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके उन्हें एक विशेष समुदाय से प्रतिशोध लेने की खतरनाक राह पर डालने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया।

बाद में होने वाली घटनाओं का प्राथमिक कारण क्रोध था जो सिखों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के रूप में अभिव्यक्त हुआ।

यह क्रोध बाद में उग्र हो गया और बाकायदा संगठित विध्वंस के रूप में ढाल दिया गया। कुछ अफवाहें--जिनमें से कुछ नितान्त अविश्वसनीय थीं--फैलाकर क्रोध को उत्तेजित करने का आधार जुटाया गया। श्रीमती गांधी की हत्या पर सिखों की खुशी की अफवाह को बेहद बढ़ा-चढ़ाकर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। कहा गया कि कई सिखों ने मिठाइयां बांटी हैं और घरों में रोशनी की है। 1/2 नवम्बर की रात कई लोगों को टेलीफोन से या किसी और तरीके से बताया गया कि शहर की पानी की सप्लाई में जहर मिला दिया गया है। इसका मतलब यह था कि सिख उग्रवादियों ने यह काम किया है।

जंगल की आग की तरह अफवाह फैलाई गई कि पंजाब से हिन्दुओं की लाशों से भरे हुए ट्रक और गाड़ियां दिल्ली पहुंची हैं। इसके अतिरिक्त यह अफवाह भी व्यापक रूप से प्रचारित की गई कि सिख छात्रों ने श्रीमती गांधी की मृत्यु का समाचार सुनकर भंगड़ा किया। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा जांच-पड़ताल किए जाने पर इनमें से अधिकांश अफवाहें निराधार सिद्ध हुईं। लेकिन उस समय के सन्देह और अविश्वास से तने हुए वातावरण में वे सिखों के प्रति क्रोध की भावना को तीव्र करने के लिए पर्याप्त थीं। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने कुछ सिख छात्रों द्वारा भंगड़ा किए जाने के आरोप की जांच की। उसकी जांच (जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी) से पता चला है कि सिख विद्यार्थी कालेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रिहर्सल कर रहे थे, भंगड़ा उस कार्यक्रम का एक भाग था। जैसे ही उन्होंने श्रीमती गांधी की मृत्यु का समाचार सुना, रिहर्सल बन्द कर दी।

खास तौर से घनी आबादी वाले और गरीब इलाकों में सिख पड़ोसियों के अपेक्षाकृत समृद्ध होने के कारण दूसरे लोगों में जागी ईर्ष्या और लालच ने भी

दंगों के एक और प्रेरक का कार्य किया। गरीब और धनी सभी इलाकों में आगजनी ज्यादातर जनता के प्रचण्ड क्रोध के कारण हुई। व्यापक रूप से होने वाली हत्याएं, खासकर बाहरी कालोनियों में, स्थानीय राजनीतिक तत्त्वों द्वारा भड़काए जाने का परिणाम थीं। स्थानीय राजनेताओं ने आसपास के गांवों और अड़ोस-पड़ोस के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, असामाजिक तत्वों और उपद्रवी गुण्डों को सक्रिय किया। कुछ इलाकों—खासकर घनी आबादी वाले निर्धन इलाकों में महिलाओं को सताया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया, जो भीड़ की बर्बरता और पाशविकता की एक कलुषित अभिव्यक्ति है।

आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया है कि इन दिनों में हुई हिंसा और अपराध बहुत हद तक राजनीतिक तत्त्वों ने उकसाया और निर्देशित किया था। कानून के रक्षकों की सक्रिय भागीदारी न सही, लेकिन उनकी उपेक्षा ने इन्हें और भी उग्र होने में सहायता दी।

दंगापीड़ितों को राहत और सहायता

दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों की सहायता के लिए घोषित राशि का क्रम इस प्रकार है; मृत्यु या पूरी तरह नष्ट हो गये घर के लिये 10,000 रु०, काफी हद तक नष्ट हो गए घर के लिए 5,000 रु०, चोट के लिए 2,000 रु० और घर को मामूली क्षति पहुंचने के लिए 1,000 रु०। आयोग की राय में यह राशि बिल्कुल नाकाफी है। घर के सामान के लूटे या नष्ट किए जाने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही अपेक्षाकृत बड़े घर के लिए आनुपातिक रूप से अधिक राशि की व्यवस्था की गई है। दुकानों और व्यावसायिक भवनों के सामान की ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। नष्ट किये गये ट्रकों, कारों, टैक्सियों और स्कूटरों की भारी संख्या को देखते हुए मशीनरी या औद्योगिक उपकरण अथवा रोजगार के अन्य साधनों की हानि के लिये भी कोई हर्जाना निर्धारित नहीं किया गया है। बचे हुए लोगों को फिर से रोजी कमाने लायक बनाने के लिए कुछ प्रारंभिक सहायता अवश्य दी जानी चाहिए थी।

कुछ मामलों में प्रशासन की ओर से मुआवजे के लिये (चाहे वह अपर्याप्त ही है) स्वीकृति मिल जाने पर भी वितरण करने वाले अधिकारियों ने धोखाधड़ी की। सम्बन्धित अधिकारियों को चाहिए कि दुःखी व्यक्तियों को शिकार बनाने की इस दुष्प्रवृत्ति का निर्ममतापूर्वक दमन करें।

मुआवजे की अपर्याप्तता और वितरण की पद्धति से बिल्कुल अलग, और अधिक महत्वपूर्ण है पुनर्वास के लिए व्यावहारिक सहायता का प्रबन्ध। इस मामले में न केवल बाहरी चीजों बल्कि हर तरह के लोगों की मानसिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। किसी विधवा को उसी जगह वापस भेज दिया जाए जहां उसे मानसिक रूप से क्षत-विक्षत कर देने वाला अनुभव हुआ था, उन सबका किसी एक जगह पुनर्वास कर दिया जाए या किस तरह उनके पुनर्वास का अच्छे-से-अच्छा प्रबन्ध हो सकता है —ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सावधानी से विचार करना चाहिए और शीघ्र ही कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में स्वैच्छिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय भी ली जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने दंगा-पीड़ितों का विश्वास अर्जित कर लिया है। सिर्फ उनकी दरिद्रता को यथासंभव दूर कर देना ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ समान नागरिक के रूप में घुलमिल जाने के लायक बनाना भी अनिवार्य है।

इस रपट को अन्तिम रूप देते समय हमने सुना कि दिल्ली प्रशासन द्वारा राहत के लिये कुछ अन्य कदमों की घोषणा की गई है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी और भी अधिक की जरूरत है।

टिप्पणियां

दिल्ली के उपद्रव एक-दूसरे को अधिकाधिक हानि पहुंचाने में लगे हुए दो समूहों का टकराव नहीं थे। यह सिख समुदाय और उसकी सम्पत्ति पर पूरी तरह एकतरफा हमला था जिसमें आम तौर पर आगजनी, हत्याएं, तोड़-फोड़ और लूट भी शामिल थी। कुछ कालोनियों में इन उपद्रवों ने निर्दोष व्यक्तियों के सामूहिक संहार का रूप ले लिया था। दुर्भाग्यवश, दो सिरफिरे धर्मान्ध व्यक्तियों के निन्दनीय अपराध के कारण पूरे समुदाय को बलि का बकरा बनाया गया।

आम सिखों और आम हिन्दुओं के बीच जमकर लड़ाई होने, टकराव होने या सिखों द्वारा जवाबी हमला करने के कोई प्रमाण नहीं हैं। दूसरी ओर, गैर-सिख पड़ोसियों और मित्रों के सामान्य रुख और प्रतिक्रियाएं मोटे तौर पर चार तरह की रहीं :

1. हिन्दू पड़ोसियों ने अपनी जान और माल को खतरे में डालकर भी हमले से डरे हुए सिखों को आश्रय देकर सक्रिय सहायता की। इसके चलते कुछ

हिन्दुओं की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने या चुराये जाने के मामले भी हमारी जानकारी में आए हैं।

2. हिन्दू पड़ोसियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिखों को आश्रय देने से इन्कार करने के बावजूद उन पर हमला करने में भाग नहीं लिया।

3. कुछ मामलों में, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में, हिन्दू पड़ोसियों ने उपद्रवियों को सिखों के घर बताने की सीमा तक सिखों के विरुद्ध कार्य किया।

4. गरीब इलाकों में ज्यादातर पड़ोसी सिखों पर हमला करने में शामिल हुए। हालांकि इन इलाकों में भी हमें कुछ पड़ोसियों द्वारा आश्रय दिए जाने के बारे में बताया गया है।

हिन्दू सिख समूहों के बीच लड़ाई होने के कुछ मामले भी निश्चित रूप से आयोग के सुनने में आये लेकिन ये सिखों द्वारा हमलावर भीड़ से आत्मरक्षा के इक्का-दुक्का मामले थे।

5. सिफारिशें

अपनी रपट में निहित आकलन को ध्यान में रखते हुए हम यह सिफारिश करना चाहते हैं कि 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर के बीच हुई घटनाओं की जांच के लिए सम्बन्धित कानून के तहत ऐसे प्रख्यात गैर-सरकारी और गैर-राजनीतिक व्यक्तियों का एक जांच आयोग स्थापित किया जाये, जो अपनी वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, ईमानदारी और अनुभव के लिए समाज में सम्मानित हों।

हमारे निष्कर्षों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोषी व्यक्तियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हैसियत की ओर ध्यान दिये बिना उन्हें सामने लाना और उनसे देश के कानून के तहत सख्ती के साथ निपटना, सरकार की सबसे पहली और आवश्यक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इनमें से कई लोगों के नाम और पहचान कई मौकों पर सामने आई है। इन पर अविलम्ब मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

विस्तृत और शीघ्र जांच के लिए तुरंत समुचित संख्या में ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के विशेष जांच दल बनाए जाने चाहिएं जिनकी सत्यनिष्ठा और सामर्थ्य सुविदित हो। ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए—यदि आवश्यक हो तो विशेष कानून के तहत—विशेष न्यायालय बनाये जाएं जो प्रक्रियात्मक देरी किये बिना निवारक दण्ड देने में समर्थ हों।

केवल इन्हीं कदमों से जनता को इस बात का यकीन हो सकता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को (चाहे वह कितनी ही प्रभावशाली और समृद्ध क्यों न हो) बेधड़क होकर कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। कानून की सर्वोच्चता, समदृष्टि और गौरव की रक्षा होनी ही चाहिए।

हमने दिल्ली में पुलिस की नितान्त असफलता और कर्त्तव्य की अवहेलना का उल्लेख किया है। कुछ पुलिसकर्मियों पर इन पांच दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में हुए अपराधों को भड़काने या सक्रिय रूप से भाग लेने तक के आरोप हैं। जहां कहीं ऐसे अधि-कारी को अपराधी पाये जाएं, उन पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही या अवहेलना के लिए विभागीय जांच के बाद दूसरों

के लिए उदाहरण बन सकने वाली सजा जरूरी है। जहां जरूरी हो संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान का सहारा लिया जा सकता है।

अब तक घोषित की गई मुआवजे की राशि अपर्याप्त है और इसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है। हम यह सिफारिश करते हैं कि उन लोगों को पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाए जिनके घर पूरी तरह नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी सम्पत्ति लूटी गई है और वापस नहीं मिली है और जिनकी बड़ी या छोटी दुकानों या फैक्टरियों को नुकसान पहुंचा है। विधवाओं और अनाथ बच्चों को विशेष रियायत मिलनी चाहिए। हम सिफारिश करते हैं कि विधवाओं को इतनी धनराशि दी जाए जिसे कहीं लगाने पर समुचित वार्षिक वृत्ति प्राप्त हो सके। अनाथ बच्चों और दंगों के दौरान विधवा हुई स्त्रियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ उनकी शिक्षा पूरी होने तक गुजारा चलाने के लिए यथोचित छात्रवृत्ति दी जाए।

ट्रक, कार, स्कूटर, टैक्सी, आटोरिक्शा, साइकिल-रिक्शा और अन्य वाहन सैकड़ों की तादाद में जलाये गये। ज्यादातर मामलों में ये वाहन—अपने हों या किराये के—मालिकों की रोजी का साधन थे। जिन वाहनों का दंगे या नागरिक अशान्ति के दौरान क्षति पहुंचने का बीमा नहीं हुआ है, उन सबको तदर्थ मुआवजा दिया जाए। यदि किसी किस्म का वाहन की आपूर्ति कम है तो आपूर्ति में प्राथमिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाएं।

बहुत से दंगापीड़ित अपने पहले वाले रिहायशी इलाकों में लौटना नहीं चाहते। उन्हें उनके बदले अन्य जगह दी जाए जो उन के पहले घरों जैसी हो। विधवाओं के पुनर्वास का कार्य उनके साथ सलाह-मशविरा करने के बाद ही किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो उनकी व्यक्तिगत सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

व्यवसाय को या व्यवसाय की जगह अर्थात फैक्टरी अथवा दुकान को क्षति पहुंचने के मामले में—अगर बीमा नहीं हुआ है तो—निश्चित अवधि के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जा सकता है। यदि यह संभव न हो तो ब्याज की दर में रियायत दी जानी चाहिए।

आयोग को सूचना मिली है कि कुछ इलाकों में औरतों का अपहरण किया गया। उन्हें ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाने के लिए जोरदार कदम उठाए जाने चाहिएं।

सिखों को सुरक्षा प्रदान करने में, कुछ गैर-सिख लोगों की सम्पत्ति को नुकसान

पहुंचा है। ऐसे लोगों को उदारतापूर्वक मुआवजा दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस प्रयास में अपने जीवन और सम्पत्ति को खतरे में डाला।

जिनके घर, दुकानें या फैक्टरियां नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन लोगों को कंट्रोल की चीजें, जिनमें निर्माण-सामग्री भी शामिल है, प्राथमिकता के आधार पर और रियायती कीमतों पर दी जाएं।

दिल्ली, राजधानी होने के नाते, देश का लघु रूप है। इसकी पुलिस को सेवा की अन्य आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हाल की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि पुलिस ने जनता का विश्वास खो दिया है। इसे फिर से संगठित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

6. सरोकार

पिछले अध्यायों में हमने 31 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक दिल्ली में हुई दुःखद घटनाओं की रूपरेखा और उनसे निकले निष्कर्षों को यथासंभव तथ्यपरक और वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची है; कि कानून का खुले तौर पर बेशर्मी से उल्लंघन किया गया है; और यह कि प्रशासन पूर्णतः निष्क्रिय था। एक मानवीय समाज को पुनर्जीवित करना, कानून की सत्ता को लौटाना और प्रशासन के प्रति फिर से सम्मान पैदा करना भविष्य के सबसे गंभीर सरोकार हैं।

इस गणतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पहुंची गंभीर क्षति को ठीक करने के लिए निरन्तर प्रयास करने और समर्पित होकर लगे रहने की जरूरत है। हमें आशंका है कि इसके लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित किए गए कुछ बहुत स्पष्ट मूलभूत उपायों का भी तब तक नगण्य-सा प्रभाव ही पड़ेगा, जब तक सत्ता के गलियारों में इन्हें उसी भावना से लागू करने की जीवन्त राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा न जागे, जिस भावना से ये सुझाए गए हैं।

प्रशासन को दुरुस्त करने, सभी राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता देने और संविधान में प्रत्येक नागरिक को दी गई समानता की गारण्टी को जीवन्त वास्तविकता में ढालने के विषय में दी गई असंख्य रपटों और सिफारिशों का प्रभाव अब तक आने वाली किसी भी सरकार पर न के बराबर या बिलकुल ही नहीं हुआ है।

हमें आशा है कि हाल की घटनाओं से व्यक्त हुआ हमारे वर्तमान प्रशासन के अपकर्ष, उसकी अप्रस्तुतता, उसके नैतिक पतन और देश के एकदम मध्य क्षेत्र में आये संकट के समक्ष उसके द्वारा दिखाई गई विवेकहीनता को देखते हुए अंततोगत्वा यह राजनीतिक इच्छा उत्पन्न होगी कि जिन कानूनप्रिय नागरिकों ने सरकार पर विश्वास किया है, उनके सम्मान, सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों और कानून के संरक्षकों में उच्चतम शारीरिक और मानसिक अनुशासन की आदत डालना (समुचित सेवा-शर्तों के प्रावधान से इसे और

बल मिलेगा) और सार्वजनिक सेवाओं की सच्ची संस्कृति अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना एक अच्छी सरकार की अनिवार्य शर्त है। प्रशासन की दक्षता की ओर निरन्तर ध्यान देने, उसकी स्वच्छता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने और निरन्तर चौकसी एवं नेतृत्व से ही नागरिक सेवाओं को निर्भर करने योग्य बनाया जा सकता है और खासतौर पर संकट के समय उन्हें परिस्थितियों से निपटने लायक बनाया जा सकता है। अपने सामने आए उदाहरणों से नागरिक सेवाओं को अपने अपेक्षित स्तर से इतना नीचे गिरा देखकर आयोग भयभीत हो उठा है।

केन्द्र और राज्यों में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल नागरिक सेवाओं के स्तर और नैतिकता में निरन्तर गिरावट लाने के लिए किसी-न-किसी रूप में जिम्मेदार हैं। प्रशासन के रोजमर्रा के कामकाज में निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप—जिसकी वजह से प्रशासन अपने तौर पर कोई कदम नहीं उठा पाता और जिम्मेदारियों को ताक पर धर दिया जाता है—ही काफी हद तक वर्तमान दुखस्था का कारण है। नागरिक सेवाओं के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपराधों की अनदेखी करके और अपराध छिपाने की सहमति देकर इस स्थिति में सहयोग दिया है।

दिल्ली की अफसोसनाक घटनाएं कठोर चेतावनी देती हैं कि यदि तुरन्त अनिवार्य प्रतिकारी कदम न उठाये गए तो भविष्य में इससे भी बड़े खतरे सामने आ सकते हैं।

कुछ सिरफिरे व्यक्तियों की गलतियों के लिए सभी सिखों को दोषी मान लेने की भावना से धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को भयानक आघात पहुंचा है। इस तरह की भावना में हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गम्भीर खतरा निहित है। किसी तरह का सम्बन्ध होने के कारण अपराध का आरोप लगाने की यह विकृत अवधारणा न केवल कुतर्कपूर्ण है बल्कि कानून के शासन को नकारती है और एक व्यवस्थित समाज की जड़ें खोद डालती है।

आत्मरक्षा के लिए या परिस्थितिवश अगर किसी छोटे या बड़े समुदाय में दूसरे समुदाय को घेरकर अपने आधीन करने की मानसिकता बन जाती है तो राष्ट्रीय एकता की समूची अवधारणा ही खतरे में पड़ जाती है। इस मानसिकता पर सतर्कतापूर्वक विचार करने और इसे सुधारने की जरूरत है। सभी राजनेताओं और जिम्मेदार नागरिकों को स्थिति पर तुरन्त गंभीरतापूर्वक विचार कर इसे सुधारने के उपाय करने चाहिएं।

नागरिकों के एक भाग को स्वयं को अवांछित और असुरक्षित अनुभव करने

पर मजबूर कर दिया जाए तो असन्तोष की भावना उत्पन्न हो सकती है जो काफी दूर तक फैल भी सकती है। किसी व्यक्ति या समूह से किसी भी रूप में कानून की सीमाओं से बाहर आने वाले प्रतिशोध को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस तरह का प्रतिशोध असभ्यतापूर्ण, अनैतिक और हमारे संविधान के सिद्धान्तों एवं हमारे समाज के आधारों के विपरीत है। इसलिए इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

इस उपमहाद्वीप में, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द महासागर तक पहुंचता है और जिसकी बांहें अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई हैं—विविध प्रकार के लोग और संस्कृतियां, जातियां और धर्म पल रहे हैं जो एक लम्बे साझे इतिहास और साझी नियति के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध को एक संविधान द्वारा मजबूत किया गया है जिसके अन्तर्गत सभी के लिए समान नागरिक अधिकार, आदर्श और कर्त्तव्य हैं। यदि भारतीय राष्ट्र को जोड़ने वाले किसी भी सूत्र को कमजोर कर दिया गया तो यह पूरे राष्ट्र की शक्ति और ऊर्जा की हानि होगी।

हमारी पश्चिमी सीमाओं के बहादुर रक्षक सिख, जिन्होंने देश की आजादी, प्रगति और समृद्धि में पूरा योगदान दिया, यदि आज स्वयं को आहत और निर्वासित अनुभव कर रहे हैं, तो इससे हमारा सामाजिक ढांचा और राष्ट्र कमजोर होता है। अपने इस प्राचीन समाज के मूल स्वास्थ्य और शक्ति को वापिस लाना इस समय सारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है ताकि इस विविधतापूर्ण विशाल देश के सभी लोग शक्ति और एकता के साथ विश्वासपूर्वक एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।

परिशिष्ट (क)

नागरिक आयोग

विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड
नई दिल्ली-110021
5 दिसम्बर, 1984

प्रिय डा० अलेक्जेंडर,

नागरिक आयोग की ओर से, जिसमें मैं और निम्नांकित व्यक्ति हैं :

श्री गोविन्द नारायण	कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल और भूतपूर्व गृहसचिव
श्री राजेश्वर दयाल	भूतपूर्व विदेश सचिव
श्री बी० एफ० एच० बी० तैयब जी	राष्ट्र मंडल के भूतपूर्व सचिव और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइस चांसलर
श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्द्धन	भूतपूर्व गृह सचिव

मैं, हाल में दिल्ली में हुए दंगों से प्रभावित लोगों को हमारे समाज के स्वाभिमानी सदस्यों के रूप में फिर से व्यवस्थित होने और रोजी कमाने लायक बनाने के लिए उनमें विश्वास पैदा करने हेतु, जो कदम हमारी राय में अविलम्ब उठाये जाने चाहिएं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोगों द्वारा तैयार एक नोट इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

यदि आप कृपा कर इस नोट को प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दें और बहुत शीघ्र ही आयोग के साथ उनकी एक भेंट का प्रबन्ध कर दें तो हमें प्रसन्नता होगी।

सम्मान सहित

आपका

(हस्ताक्षर)
एस० एम० सीकरी
भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश, भारत

डा० पी० सी० अलेक्जेंडर
मुख्य सचिव
प्रधान मन्त्री
साउथ ब्लाक
नई दिल्ली-110001
संलग्न—उपरोक्त

नागरिक आयोग

31 अक्तूबर से 4 नवम्बर 1984 तक दिल्ली में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने के फलस्वरूप हत्या, आगजनी और लूट आदि चिन्तनीय घटनाओं के विषय में—

हमने अनेक दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और 31 अक्तूबर, 1984 से 4 नवम्बर, 1984 के दौरान कानून और व्यवस्था भंग होने के परिणाम अपनी आंखों से देखे हैं। कानून और व्यवस्था भंग होने के परिणामस्वरूप तोड़-फोड़, लूट, बलात्कार और हत्या के शिकार हुए लोगों से हमने बातचीत की। हमने दंगे के शिकार हुए व्यक्तियों के लिए सक्रिय रूप से राहत कार्य करके उनके मन में छाये आतंक को दूर करने, उनमें आशा का संचार करने और शेष भारतीय समाज के साथ उनकी भाई-चारे की भावना को बढ़ाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं (उतनी संख्या में जितनी से उनका प्रतिनिधित्व हो सके) से भी वर्तमान स्थिति के बारे में बातचीत की।

इन सबके प्रकाश में, और इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के अपने पूर्व-अनुभवों के आधार पर, हम सरकार के समक्ष तुरन्त विचारार्थ निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत करने का साहस कर रहे हैं।

1. जिन व्यक्तियों पर जघन्य अपराध करने या उनके लिए भड़काने के प्रथम दृष्टि में सबूत मौजूद हैं, उन्हें बाहर न रहने दिया जाये। इनमें से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन जमानत पर छोड़ दिया। ये अब तक इन इलाकों में आतंक फैला रहे हैं। अगर अदालत में मुकदमा चलने से पहले इन्हें जेल में बन्द करना सम्भव न हो तो इनकी गतिविधियों को सख्ती से रोका जाए और इन पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं। इस दृष्टिकोण से चुनाव प्रचार की भी जांच, और यदि आवश्यक हो तो उसे रोके जाने की जरूरत है।

2. दंगापीड़ितों द्वारा जान और माल के नुकसान के मुआवजे में सहायता-राशि प्राप्त करने के लिए भरे जाने वाले कई फार्मों को स्थानीय निवासियों द्वारा प्रमाणित कराने की जरूरत होती है। प्रायः, जिन लोगों पर ये दंगे करने और आतंक फैलाने का आरोप है और जो हर तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, उन्हीं से इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। यह स्पष्टतः विसंगतिपूर्ण है। मरे हुए रिश्तेदारों और पतियों के मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश करने का आग्रह करना भी उतना ही विसंगतिपूर्ण है। प्रमाणित करने का कार्य निर्विवाद विश्वसनीयता वाले निष्पक्ष व्यक्तियों को सौंप दिया जाना चाहिए। ऐसे कई मामले हमारे देखने में आये हैं जहां जान या माल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के दावे प्रमाणित न हो पाने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये, हालांकि इस नुकसान के बहुत से सबूत थे।

3. उन बहुत-सी विधवाओं और उनके बच्चों की सहायता और पुनर्वास के लिये तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिएं जिनके परिवार में कमाने वाला कोई वयस्क पुरुष नहीं बचा है। हम उपराज्यपाल की ओर से अखबारों में प्रकाशित इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए उनके पहले वाले घरों के पास ही कुछ शिविर बनाये जा रहे हैं। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि एक क्षेत्र की विधवाओं को एक-दूसरे से या उस क्षेत्र के साथी दंगा-पीड़ितों से अलग न किया जाए। जहां तक संभव हो, उन्हें साथ ही रखा जाना चाहिए। इससे उन्हें विश्वास, सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक संतोष मिलेगा। उनके बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध के साथ-साथ उनके लिए समुचित काम या प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी प्रबन्ध करना चाहिए।

4. जिनके घर रहने योग्य नहीं छोड़े गए, उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान की जरूरत होगी। हम समझते हैं कि उनके पहले घरों के पास वाले इलाकों में

कुछ डी० डी० ए० फ्लैट्स हैं, जो गृहहीनों को तब तक के लिए दिए जा सकते हैं जब तक वे अपने घरों की मरम्मत कराने या और प्रबन्ध करने में समर्थ न हो जाएं।

5. जिन लोगों ने अपनी रोजी के साधन खो दिए हैं, उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए तुरन्त सहायता की आवश्यकता है। आटोरिक्शा ड्राइवरों और ट्रक-मालिकों के बहुत-से वाहन नष्ट हो गए हैं। इनमें से अधिकांश वाहनों का तीसरी पार्टी की ओर से जोखिम का और कुछ का सर्वसमावेशी बीमा हुआ था लेकिन इन दोनों में नागरिक अशान्ति की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। इसलिए इन्हें बीमा कम्पनियों से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में सरकार को नये वाहन लेने के लिए ब्याजमुक्त ऋण देने का प्रबन्ध करना चाहिए। इसी तरह, जिन लोगों ने अपनी दुकानें अथवा व्यापार के अन्य साधन खो दिए हैं, उन्हें भी रियायती ब्याज-दरों पर ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए।

6. सहायता देने का वर्तमान पैमाना दंगापीड़ितों की बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। यथार्थवादी आधार पर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

हम इन मुद्दों को प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करने और उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य और वित्त मंत्रालय सहित सभी सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक उच्चशक्तिसम्पन्न समिति— जिसे अपने समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार हो--तुरन्त बनाने का सुझाव रखने के लिए उनसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। समिति को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों या विभागों को अनिवार्य निर्देश जारी करने का भी अधिकार होना चाहिए ताकि उसकी सिफारिशों पर तेजी से अमल को सुनिश्चित किया जा सके।

परिशिष्ट (ख)

पी० सी० अलेक्जेंडर
मुख्य सचिव
प्रधानमंत्री

क्रमांक पी एम एस-32116,
प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली-110001
6 दिसम्बर, 1684

प्रिय श्री सीकरी,

मैं आपके 5 दिसम्बर, 1984 के पत्र और उसके साथ सलंग्न नागरिक आयोग की सिफारिशों वाले नोट की प्राप्ति स्वीकार करता हूं। मैं यह सामग्री प्रधान मंत्री के समक्ष रख दूंगा।

सम्मान सहित

आपका
(हस्ताक्षर)
पी० सी० अलेक्जेंडर

श्री एस० एम० सीकरी
नागरिक आयोग
विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड
नई दिल्ली-110021

परिशिष्ट (ग)

नागरिक आयोग

विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021
19 दिसम्बर, 1984

प्रिय डॉ० अलेक्जेंडर,

कृपया 6 दिसम्बर, 1984 का हमारे पहले पत्र की प्राप्ति-स्वीकार वाला पत्र-संख्या पी० एम० एस०-32116 देखें। आपका पत्र हमें 11 तारीख को मिला। हम यह जानकर आभारी होंगे कि हमारा नोट प्रधान मंत्री के समक्ष

प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं और क्या प्रधान मंत्री निकट भविष्य में हमसे मिलेंगे ?

सम्मान सहित,

आपका
(हस्ताक्षर)
एस० एम० सीकरी

डॉ० पी० सी० अलेक्जेंडर
मुख्य सचिव
प्रधान मंत्री
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली

परिशिष्ट (घ)

नागरिक आयोग

विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021
20 दिसम्बर, 1984

प्रिय गृहमंत्री जी,

नागरिक आयोग की ओर से, जिसमें मैं और निम्नांकित व्यक्ति शामिल हैं :

श्री गोविन्द नारायण	कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल और भूतपूर्व गृह सचिव
श्री राजेश्वर दयाल	भूतपूर्व विदेश सचिव
श्री बी० एफ० एच० बी० तैयबजी	भूतपूर्व राष्ट्रमंडल सचिव और भूतपूर्व वाइस-चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

श्री टी० सी० ए० श्री निवासवर्द्धन — भूतपूर्व गृह सचिव

मैं, हम लोगों द्वारा तैयार किया गया एक नोट इसके साथ संलग्न कर रहा हूं। इस नोट में कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर आपके विचार और सलाह पाकर हम आभारी होंगे। हम और भी अधिक आभारी होंगे यदि आप कृपया किसी बहुत निकट की तारीख में इस अत्यावश्यक सार्वजनिक मामले के बारे में हमसे मिलने के लिए समय निश्चित कर दें।

सादर

आपका
(हस्ताक्षर)
एस० एम० सीकरी
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत

श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृहमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
संलग्न-उपरोक्त

नागरिक आयोग

हम ने पिछले चार सप्ताहों के दौरान शहर में दूर-दूर तक फैले हुए शरणार्थी-शिविरों और विभिन्न गुरुद्वारों का दौरा किया। इसमें हमने उन हिंसात्मक घटनाओं के भुक्तभोगियों और चश्मदीद गवाहों से बातचीत की जिनमें अकथनीय नृशंसता के साथ लोगों का मारा और जलाया गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया और दुकानों और घरों को लूटा और नष्ट किया गया। उन सबने हमारे सामने प्रमाणित किया कि पुलिसकर्मियों ने मौजूद होने पर भी उन्हें बचाने या दंगाई भीड़ को रोकने के लिये एक उंगली तक नहीं उठाई बल्कि :

1. दंगे के शिकार लोगों से यह झूठ बोलकर कि यदि वे अपने घरों में चले जायें तो सुरक्षित रहेंगे, और उसके बाद

2. दंगाइयों को यह बताकर कि अब वे उन पर हमला कर सकते हैं, (जो उन्होंने किया)

सक्रिय रूप से दंगाइयों को उकसाया।

पुलिस थाने में अगर कोई पुलिस अधिकारी मौजूद था, तब भी उन्होंने कोई सहायता नहीं की। अधिकांश पुलिस अधिकारी थानों से अनुपस्थित पाए गए और उनकी अनुपस्थिति का कोई विवरण भी उपलब्ध नहीं था। आम तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा सहायता करने से इन्कार करना और पर्याप्त पुलिसकर्मियों से लैस थानों से—जो नरसंहार के स्थलों से बहुत नजदीक हैं—पुलिस की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति किसी निर्देश का परिणाम थी। हमने इस विषय में पुलिस या राजनीतिक सम्पर्कों वाले उन व्यक्तियों की तरफ से कोई बात नहीं सुनी है जिनके नाम अक्सर लिए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पास उनका विवरण सुनने के लिए साधन नहीं हैं।

दंगाई भीड़ के नेताओं, हत्यारों, आगजनी करने वालों और बलात्कारियों के नाम बार-बार सामने आए हैं लेकिन वे अभी तक अपनी कालोनियों के लोगों को आंतकित करते घूम रहे है। प्रभावित इलाकों में किसी पर मुकदमा चलाए जाने, सजा दिए जाने या केवल जांच-पड़ताल किए जाने का भी कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है।

भारत की राजधानी में इस तरह की बर्बरता का होना और तीन या चार दिन तक बेरोकटोक होते रहना, जिसका प्रत्यक्ष शिकार सिख समुदाय हुआ लेकिन सभी कानूनप्रिय नागरिक भयभीत हो गए और राज्य के सुरक्षा प्रदान करने वाले घटक पर से उनका विश्वास बुरी तरह हिल गया, गम्भीर चिन्ता का विषय है। उस भीषण हिंसा के इतने समय बाद भी, विशेष रूप से सिख समुदाय में और आम तौर पर जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तुरन्त कदम उठाना इस समय की प्रमुख आवश्यकता है। इस समय देश के समक्ष खतरा यह है कि यदि इस प्रकार की नृशंस पाशविकता बेरोकटोक होने दी जा सकती है तो भारत को विविधता में एकता वाले चरित्र का ढांचा गम्भीर रूप से संकट में पड़ जाएगा।

इसलिए हम दिल्ली नगर के लिए उत्तरदायी अधिकरण के सम्मुख वे प्रश्न रखना चाहेंगे जो हमारी विस्तृत जांच-पड़ताल के दौरान उठे और जो चिन्तातुर जनता द्वारा व्यापक रूप से पूछे जा रहे हैं :

1. हमें पता चला है कि 31 अक्तूबर को स्वर्गीय प्रधानमन्त्री के गोलियों से गम्भीर रूप में जख्मी होने का समाचार सुबह 9.30 बजे तक दिल्ली में व्यापक रूप से फैल चुका था। पुलिस और प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा जान और माल के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

2. 31 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे तक स्थानीय समाचार-पत्रों ने स्वर्गीय प्रधानमन्त्री की मृत्यु की घोषणा करते हुए अपने विशेष संस्करण निकाल दिये थे। इसके बाद अ०भा० आ० संस्थान के आसपास के इलाके और लक्ष्मीबाई नगर में उसी दिन 5.00 बजे तक कुछ उपद्रव—जिनमें वाहन जलाना भी शामिल है—शुरू हो चुके थे। क्या पुलिस और प्रशासन ने सिख आबादी वाले इलाकों में गम्भीर एहतियाती और रोकथाम करने वाले कदम उठाए ?

3. क्या प्रशासन के पास कोई संशोधित आन्तरिक सुरक्षा योजना थी और क्या इसकी प्रतियां सभी पुलिस थानों सहित सभी सम्बन्धित संस्थानों और व्यक्तियों को दी गई थीं ? क्या आन्तरिक सुरक्षा योजना लागू की गई ? यदि की गई तो कब ?

4. क्या प्रशासन के पास सिविल और सशस्त्र पुलिस बल पर्याप्त संख्या में है ? यदि हां, तो क्या अन्तिम संस्कार के लिए प्रबन्ध करने के अतिरिक्त कानून और व्यवस्था बनाए रखने की स्थायी योजना के अनुसार उन्हें पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया ?

5. यदि पुलिस बल इन दोनों बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त था, तो क्या सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० और सेना से सहायता मांगी गई ? यदि हां तो कब ?

6. जिन दंगापीड़ितों से हम मिले हैं, उनमें से अधिकांश ने यह शिकायत की है कि उन्होंने पहले पुलिस से और फिर पुलिस कंट्रोल से सहायता मांगी लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। क्या इसमें कोई विशेष दबाव या प्रतिबन्ध थे ?

7. हमें इस तरह की बहुत शिकायतें मिली हैं कि 1 से 3 नवम्बर तक जब विभिन्न इलाकों में लूट, आगजनी, बलात्कार हत्या और इन्सानों को जलाए जाने जैसे

जघन्य अपराध किए जा रहे थे, तो अपराधी भीड़ों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बात के संकेत हैं कि यदि 31 अक्तूबर को कर्फ्यू लगा दिया जाता और सेना को इन अपराधों को समाप्त करने की पूरी हिदायतें देकर 1 नवम्बर की सुबह ही बुला लिया जाता तो संकट पर काबू पाया जा सकता था। हम यह जानना चाहेंगे कि प्रशासन का आकलन और विचार क्या था ?

8. हमसे शिकायत की गई है कि सेना को बहुत देर से बुलाया गया और उसके आने के बाद भी अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट निर्देश नहीं मिले और न ही उन्हें प्रभावित क्षेत्रों का रास्ता बताने के लिए गाइड दिए गए। हम इस पर सरकार की टिप्पणी चाहेंगे।

9. प्रशासन, दिल्ली पुलिस, बी०एस०एफ०, सी०आर०पी० और सेना के बीच प्रभावकारी सम्पर्क, तालमेल और संवाद को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई ? और इसने कबसे काम करना शुरू किया ?

10. हमें कई शिकायतें मिली हैं कि दंगा-पीड़ितों ने जिन व्यक्तियों को अपराधियों के रूप में पहचाना और नाम लिया है, वे अब भी बाहर हैं और घर लौटना चाहने वाले शरणार्थियों को अब तक डरा-धमका रहे हैं। क्या सामान्य कानून लागू न किए जाने के कोई कारण हैं ? क्या इन अपराधियों को तब तक के लिए बन्द नहीं किया जा सकता जब तक इन पर विशेष अदालतों में मुकदमा नहीं चलता ?

11. लोग जानना चाहेंगे कि धारा 144 का उल्लंघन करने और कर्फ्यू भंग करने के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया या उन पर मुकदमा चलाया गया ?

12. लोग जानना चाहेंगे कि पुलिस या सेना ने दंगे, आगजनी, लूट या हत्या को रोकने के लिए कितनी बार गोली चलाई और उसका परिणाम क्या हुआ ?

13. लोग यह भी जानना चाहेंगे कि कितने अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया है और कार्रवाई पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

14. हमें पता चला है कि आतंकित करने वाली अफवाहें अब भी लगातार फैलाई जा रही हैं और प्रभावित समुदाय को अब भी डर है कि जो उसने पहले भोगा

है, वह दोहराया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति फिर से आ जाए तो क्या उससे निपटने के लिए प्रशासन ने स्वयं को समुचित रूप से तैयार कर लिया है ? यदि कर लिया है तो पिछली घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित लोगों को आश्वस्त करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं ?

15. हमारे सम्मुख यह कहा गया है कि जिन स्थानों पर पुलिस मौजूद थी, वहां वह उदासीन रही और कई जगह तो पुलिसकर्मियों ने अपराधी भीड़ों को उकसाया और प्रोत्साहन दिया। कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान हैं कि खुद पुलिस ने भी लूट और अन्य अपराध किए। इस तरह की तरह की हरकतें न केवल निन्दनीय हैं बल्कि उस मशीनरी पर से लोगों का विश्वास हिला देने वाली हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए और ऐसी हरकतों को दोबारा होने से रोकने के लिए उदाहरण स्थापित करने वाली कौन-सी कार्रवाई की जा रही है ?

16. हमारे समक्ष कहा गया है कि एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेता आगजनी, लूट, हत्या आदि करने वाली भीड़ों को उकसा रहे थे, और उनका नेतृत्व कर रहे थे। ये नेता अब भी बाहर हैं और निरन्तर भय एवं असुरक्षा के कारण बने हुए हैं। इन हिंसा भड़काने वालों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है ?

17. हमारे सम्मुख कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सका, दंगापीड़ितों ने पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करा दी थी लेकिन इतना समय खोने के बाद भी कोई जांच, पहचाने गए अपराधियों की गिरफ्तारी या लूटी गई सम्पत्ति की खोज शुरू नहीं की गई है। ऐसा क्यों होना चाहिए ?

18. हमारे समक्ष यह आरोप लगाया गया है— और हमारे सामने बयान की गई पूरी परिस्थितियों से भी यही संकेत मिलता है—कि सिखों को सबक सिखाने के लिए एक षड्यन्त्र किया गया था और उसी के एक भाग के रूप में 1 से 3 नवम्बर तक पुलिस और प्रशासन निष्क्रिय रहे। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह निन्दनीय और असहनीय होना चाहिए। जाति, सम्प्रदाय, धर्म या राजनीतिक विश्वास का विचार किये बिना सभी शान्तिप्रिय नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक मशीनरी के फिर से इस प्रकार लकवाग्रस्त न होने को सुनिश्चित करने हेतु समस्या की जड़ तक जाने और सच्चाई को सामने लाने के लिए कौन-से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

परिशिष्ट (ङ)

सं० 5462/एस०जी०-एच०एम०पी० (डी)
अतिरिक्त निजी सचिव
गृह-मंत्रालय
भारत
26 दिसम्बर, 1984

प्रिय महोदय,

दौरे पर होने के कारण गृहमंत्री की अनुपस्थिति में मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि आपके 20 नवम्बर 1984 के पत्र और हाल की घटनाओं के बारे में उसके साथ संलग्न नोट की सधन्यवाद प्राप्ति स्वीकार करूँ।

माननीय गृहमंत्री के लौटने पर इसे उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

ससम्मान

आपका
हस्ताक्षर
एस० के० जैन

श्री एस० एम० सीकरी
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत
विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021

परिशिष्ट (च)

नागरिक आयोग

विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021
4 जनवरी, 1985

प्रिय प्रधानमन्त्री जी,

5 दिसम्बर, 1985 को मैंने आपके मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। दिल्ली में 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक हुई दुःखद घटनाओं के बारे में एक नोट भी उसके साथ संलग्न था। तुरन्त सन्दर्भ के लिए उसकी एक प्रति साथ भेजी जा रही है। दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 को हमें उसकी पावती (सं० पी०एम०एस०—32116) मिली जिसमें कहा गया था कि यह सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। इसके बाद कोई सूचना न मिलने पर हमने 19 दिसम्बर, 1984 को उन्हें एक स्मरण-पत्र भेजा, जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है।

हमारे पत्र में जिन मामलों पर बात की गई है वे अपरिहार्य हैं। उनका अत्यधिक सार्वजनिक महत्त्व है। इसलिए यदि कृपा कर यह बता सकें कि आप हमसे कब मिल सकेंगे, तो हम आभारी होंगे।

सादर

आपका
हस्ताक्षर
एस० एम० सीकरी

श्री राजीव गांधी
प्रधानमन्त्री, भारत
नई दिल्ली
संलग्न : उपरोक्त

परिशिष्ट (छ)

नागरिक आयोग

विश्व युवक केन्द्र
सर्कुलर रोड
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021
4 जनवरी, 1985

प्रिय गृहमंत्री जी,

20 दिसम्बर, 1984को नागरिक आयोग की ओर से मैंने आपके पूर्ववर्ती को एक पत्र लिखा था जिसका अन्तरिम उत्तर सं० 5462/एस०जी-एच० एम० पी० (डी) दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 को अतिरिक्त निजी सचिव की ओर से प्राप्त हुआ।

अपने पत्र में हमने एक साक्षात्कार के लिए प्रार्थना की थी और दिल्ली में 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 1984 तक हुई शोकपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली भी उसके साथ संलग्न की थी। तुरन्त सन्दर्भ के लिए प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।

अब, जबकि आपने गृह मंत्रालय का भार संभाला है, यदि कृपा कर इस अत्यावश्यक मामले की जांच करें और हमें बताएं कि आपको हमसे मिलने की सुविधा कब होगी, तो हम आभारी होंगे।

ससम्मान

आपका
हस्ताक्षर
एस०एम० सीकरी

श्री एस० वी० चह्वाण
गृहमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
संलग्न : उपरोक्त

□□

"जब दिल्ली हत्या और शोक से चेतनाशून्य थी तब आतंक, हत्या, लूटपाट और आगजनी के जंगली उन्माद ने शहर के बहुत-से हिस्सों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका मुख्य लक्ष्य एक अल्पसंख्यक समुदाय था लेकिन सभी शान्तिप्रिय नागरिक भयभीत थे। पूरे शहर को डर ने जकड़ रखा था और हत्यारों के समूह हमले करते हुए सड़कों और गलियों में बेरोकटोक घूम रहे थे। देश के बहुत सारे हिस्सों में फैली इस हिंसा का जोर कहीं कम और कहीं ज्यादा रहा। इसने न केवल दंगे के शिकार हुए समुदाय का, बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों का विश्वास भी हमारी धर्म-निरपेक्षता पर से हिला दिया।"

भारत की राजधानी में इस तरह की बर्बरता का होना और तीन या चार दिन तक बेरोकटोक होते रहना, जिसका प्रत्यक्ष शिकार सिख समुदाय हुआ, लेकिन सभी कानून प्रिय नागरिक भयभीत हो गए और राज्य के सुरक्षा प्रदान करने वाले घटक पर से उनका विश्वास बुरी तरह हिल गया, गम्भीर चिन्ता का विषय है। उस भीषण हिंसा के इतने समय बाद भी, विशेष रूप से सिख समुदाय में और आमतौर पर जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तुरन्त कदम उठना इस समय की प्रमुख आवश्यकता है। इस समय देश के समक्ष खतरा यह है कि यदि इस प्रकार की नृशंस पाशविकता बेरोकटोक होने दी जा सकती है तो विविधता में एकता वाले चरित्र का ढांचा गम्भीर रूप से संकट में पड़ जाएगा।

मूल्य : 5 रुपये